

नोट – भारत कटौती यहां तक सीमित रहेगी

दर	अवधि
(i) 100%	P.Y. 2020-21 से (यानी, A.Y. 2021-22 से)

- (ii) **वैज्ञानिक शोध के लिए स्वीकृत भारतीय कम्पनी** (Approved Indian company for scientific research) : किसी भी कम्पनी के लिए भुगतान की जाने वाली किसी भी राशि के बराबर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इसका उपयोग [धारा 35(1)(ia)] हालांकि, ऐसी कटौती केवल तभी उपलब्ध होगी;
 –कम्पनी भारत में पंजीकृत है और
 –इसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास है।
 इसका अलावा, यह निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होना चाहिए और अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा करना चाहिए।

→ धारा 35 (1) (ia) के तहत अनुमोदित एक कम्पनी को धारा 35 (2 AB) के तहत 150% की भारत कटौती का दावा करने का हकदार नहीं होगा। हालांकि, यह वैज्ञानिक शोध पर किए गए राजस्व व्यय के सम्बन्ध में धारा 35 (1) (i) के तहत कटौती का दावा जारी रख सकता है।

- (iii) **स्वीकृत अधिसूचित शोध संग, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था** (Approved notified research association, university, college or other institution) : राशि का भुगतान करना निम्नलिखित को
- शोध संग जिसका उद्देश्य, सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय शोध करने का हो या
 - विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को जिसे सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय शोध करने के लिए उपयोग किया गया हो, परन्तु वह इस सुविधा के लिए मान्य हो तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित हों। [धारा 35 (1) (iii)]

इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कर निर्धारिती के द्वारा वैज्ञानिक खोज या सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय शोध करने के लिए शोध संग, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को भुगतान किया गया हो तो जो कटौती उसे मान्य है वह दी जाएगी तथा उपर्युक्त संस्थाओं को दी हुई मान्यता यदि भुगतान के बाद हटा दी गई हो तो भी यह कटौती मना नहीं की जा सकती।

- (iv) **राष्ट्रीय प्रयोगशाला आदि को भुगतान राशि। [धारा 35(2AA)]** [Sum paid to National Laboratory, etc. {Section 35(2AA)}]

धारा 35 के उप-धारा (2AA) ने यह निर्धारित किया है कि निर्धारित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या किसी विशिष्ट

व्यक्ति को निर्धारिती द्वारा कोई भी राशि भुगतान की जाएगी इतना भुगतान किया राशि का 1½ बार (यानी, 150%) की भारत कटौती के लिए

इस अधिनियम के तहत कोई अन्य कटौती नहीं (No other deduction under the act) इस खंड के तहत शामिल भारत कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले कोई भी योगदान अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान के तहत कटौती करने का हकदार होगा।

प्राधिकरण की स्वीकृति (Approval of the Authority) : राष्ट्रीय प्रयोगशाला को स्वीकृति देने वाला प्राधिकरण भी कार्यक्रमों और प्रक्रिया को स्वीकार होगा। ऐसे कार्यक्रम और प्रक्रिया नियमों में निर्दिष्ट की जाएगी।

यह स्पष्ट किया गया है कि जिस कटौती के लिए एक निर्धारिती उसके द्वारा किसी भी राशि का भुगतान राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या अनुमोदित कार्यक्रम के लिए निर्दिष्ट व्यक्ति के खाते में प्राप्त किया गया है, उसे दाता-निर्धारिती से वंचित नहीं किया जाएगा केवल जमीन पर है कि उसके द्वारा इस तरह की राशि का भुगतान करने के बाद, किसी भी उपर्युक्त कार्य-संस्थाओं को दिया गया अनुमोदन वापस ले लिया गया है।

शब्द	अर्थ
निर्दिष्ट व्यक्ति	व्यक्ति जो निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है

नोट- भारत कटौती सीमित रहेगी

दर	अवधि
(i) 100%	P.Y. 2020-21 से (यानी, A.Y. 2021-22 से)

(III) जैव-प्रौद्योगिकी या लेख या चीज आदि के निर्माण लगे कम्पनी। [धारा (2AB)]
[Company engaged in Business of Bio-technology or manufacturing of article or thing etc. {Section 35(2AB)}]

जहां एक कम्पनी जैव-प्रौद्योगिकी के व्यवसाय में या किसी भी लेख या वस्तु के निर्माण या उत्पादन के किसी भी व्यवसाय से जुड़ी हुई है, 11 वीं अनुसूची की सूची में निर्दिष्ट एक लेख या वस्तु नहीं है, इन हाउस अनुसंधान पर वैज्ञानिक शोध पर कोई व्यय होता है और निर्धारित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित के रूप में विकास सुविधा, व्यय 1½ बार (यानी, 150%) के बराबर राशि का कटौती की अनुमति दी जाएगी। ऐसा खर्च किसी भी जमीन या भवन की लागत की प्रकृति में नहीं होना चाहिए।

➔ दवाओं और फार्मास्यूटिकल के सम्बन्ध में "वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय" में क्लिनिकल ड्रग ट्रायल पर किए गए व्यय, किसी भी राज्य नियामक प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करना, और पेटेंट अधिनियम, 1970 के तहत पेटेंट के लिए एक आवेदन पत्र दाखिल करना शामिल है।

आयकर अधिनियम, 1961 के किसी भी अन्य प्रावधान के तहत उपर्युक्त व्यय के सम्बन्ध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कोई भी कम्पनी इस कटौती की हकदार नहीं होगी जब तक कि वह इस तरह के अनुसंधान और विकास सुविधा में सहयोग के लिए निर्धारित प्राधिकारी के साथ समझौते में प्रवेश करे और खातों की रखरखाव और लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में निर्धारित शर्तों को पूरा करे और निर्धारित रिपोर्ट में निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करे।

निर्धारित प्राधिकारी, प्रधानाचार्य मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त महाप्रबंधक महानिदेशक महानिदेशक को इस सुविधा के अनुमोदन के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और ऐसे समय में निर्धारित किया जा सकता है।

नोट—भारित कटौती सीमित रहेगी :

दर	अवधि
(i) 100%	P.Y. 2020-21 से (यानी, A.Y. 2021-22 से)

- (2) धारा 35 के अंतर्गत भारत कटौती— सारांश [Weighted deduction under section 35 : A summary]

निम्नलिखित सूची धारा 35 में किसी कर निर्धारिती द्वारा दी A.Y 2020-21 में विशिष्ट मान्यता प्राप्त संस्थाओं को योगदान या कर निर्धारिती द्वारा किए खर्च से संबंधित भारत कटौती का सारांश प्रदान कर रही हैं।

धारा	खर्च किए गए व्यय/योगदान	कटौती (योगदान की एक % के रूप में)
35 (1) (i)	निर्धारिती के व्यवसाय से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसंधान पर किए गए राजस्व व्यय	100%
35 (1) (ii)	अनुसंधान वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एसोसिएशन	150%
35 (1) (ia)	वैज्ञानिक शोध के लिए कम्पनी	100%
35 (1) (iii)	सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान में अनुसंधान के लिए रिसर्च एसोसिएशन	100%
35 (1) (iv)	पूंजीगत व्यय (भूमि पर व्यय के अलावा)	100%
35 (2AA)	एक अनुमोदित कार्यक्रम के तहत किए गए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला/ विश्वविद्यालय/आईआईटी	150%
35 (2AB)	बायो-टेक्नोलॉजी या उत्पादन या किसी भी व्यवसाय या लेख या वस्तु के निर्माण के किसी भी व्यवसाय द्वारा व्यय किए गए व्यय, ग्यारहवें अनुसूची (भूमि और भवन की लागत के अलावा) में सूचीबद्ध नहीं है।	150%

उदाहरण (Illustration) 8

श्री ए. P.Y. 2019-20 के लिए निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करता है। "व्यवसाय और पेशे के मुनाफे और लाभ" सिर के तहत अपनी आय की गणना करते समय, A.Y. 2020-21 के लिए धारा 35 के तहत स्वीकार्य कटौती की गणना करें।

	विवरण	₹
1.	वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान, बँगलौर को दी गई राशि	1,00,000
2.	एक अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम के लिए आईआईटी दिल्ली को भुगतान की गई राशि	2,50,000
3.	एक्स लिमिटेड को भुगतान की गई राशि, भारत में पंजीकृत एक कम्पनी जिसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास है, जैसा कि निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है	4,00,000
4.	निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित के रूप में इन-हाउस अनुसंधान और विकास सुविधा पर खर्च किए गए व्यय (a) वैज्ञानिक अनुसंधान पर राजस्व व्यय (b) वैज्ञानिक शोध पर पूंजीगत खर्च (भूमि अधिग्रहण की लागत 5,00,000)	3,00,000 7,50,000

हल (Solution)

A.Y. 2020-21 के लिए धारा 35 के तहत कटौती की गणना
(Computation of deduction under section 35 for the A.Y. 2020-21)

विवरण	(₹)	धारा	भारित कटौती का%	कटौती की राशि (₹)
वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भुगतान				
भारतीय विज्ञान संस्थान	1,00,000	35 (1)(ii)	150%	1,50,000
आईआईटी, दिल्ली	2,50,000	35(2AA)	150%	3,75,000
एक्स लिमिटेड	4,00,000	35(1)(ia)	100%	4,00,000
इन-हाउस अनुसंधान और विकास सुविधा पर किए गए व्यय				
राजस्व व्यय	3,00,000	35 (1) (i)	100%	3,00,00
पूंजीगत व्यय (भूमि के अधिग्रहण की लागत को छोड़कर ₹ 5,00,000)	2,50,000	35(1)(iv)	100%	2,50,000
धारा 35 के तहत स्वीकार्य कटौती				14,75,000

नोट : केवल कम्पनी के निर्धारिती के अंतर्गत—घर अनुसंधान और विकास व्यय के सम्बन्ध में धारा 35(2AB) के तहत 150% @ भारित कटौती के हकदार हैं। हालांकि, इस मामले में, निर्धारिती एक व्यक्ति है। इसलिए, धारा 35 (1)(i) के तहत किए गए राजस्व व्यय का 100% और कलम 35(1)(iv) धारा 35(2) के साथ पढ़े गए पूंजीगत व्यय का 100% कटौती करने का हकदार होगा। यह सोचते हुए कि इस तरह के व्यय को अपने व्यवसाय से सम्बन्धित अनुसंधान पर रखा गया है या खर्च किया गया है।

(vi) निर्दिष्ट व्यवसायों के लिए “निवेश—सम्बन्धित कर प्रोत्साहन” [धारा 35AD]
[“Investment-linked tax incentives” for specified businesses (Section 35AD)]

(1) निर्दिष्ट व्यवसायों की सूची (List of specified business) : यद्यपि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत उपलब्ध कराधानों का एक बहुत अधिक लाभ हुआ है, क्योंकि इन प्रोत्साहनों का लाभ मुनाफे से जुड़ा हुआ है और फलस्वरूप मुनाफा बदले जाने का प्रभाव होता है। कर योग्य क्षेत्र से कर मुक्त क्षेत्र तक

ग्रामीण वस्तुओं के परिवहन के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे और पर्यावरण अनुकूल वैकल्पिक साधन बनाने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ, विनिर्दिष्ट व्यापारों के लिए निवेश—सम्बन्धित कर प्रोत्साहन शुरू किए गए हैं अर्थात्—

- निर्दिष्ट उत्पादों के लिए ‘शीत शृंखला’ सुविधाएं स्थापित करना और संचालन करना;
- कृषि उत्पादों के लिए भंडारण सुविधाओं की स्थापना और संचालन;
- वितरण के लिए एक क्रॉस-कंट्री नैसर्गिक गैस या क्रूड या पेट्रोलियम तेल पाइपलाइन नेटवर्क को बिछाने और संचालित करना, जिसमें भंडारण सुविधाओं को इस तरह के नेटवर्क का एक अभिन्न हिस्सा शामिल करना शामिल है;
- भारत में कहीं भी दो-स्टार या उससे ऊपर की श्रेणी के होटल का निर्माण और संचालन;
- मरीज के लिए कम-से-कम 100 बिस्तरों के साथ भारत में कहीं भी एक अस्पताल का निर्माण और संचालन;
- केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई झुग्गी पुनर्वास के लिए एक योजना के तहत एक आवास परियोजना का विकास और निर्माण करना, जैसा कि मामला हो और सीबीडीटी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार अधिसूचना
- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए किफायती आवास के लिए एक अधिसूचित योजना के तहत आवास परियोजना का विकास करना और निर्माण करना;
- भारत में उर्वरक का उत्पादन;
- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत अधिसूचना या अनुमोदित कंटेनर फ्रेट स्टेशन को अंतर्देशीय कंटेनर डिपो या ऑपरेटिंग और संचालन करना’;
- मधुमक्खी और शहर और मोम का उत्पादन;
- चीनी भंडारण के लिए एक भंडारण सुविधा की स्थापना और संचालन
- लौह अयस्क के परिवहन के लिए एक घोल पाइन लाइन बिछाने और संचालन;

- एक अर्द्धचालक वेफर निर्माण विनिर्माण इकाई की स्थापना और संचालन, अगर ऐसी इकाई को निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया गया है;
 - एक नई बुनियादी सुविधाओं की सुविधा का विकास या रखरखाव और संचालन या विकास, रखरखाव और संचालन
- (2) **पूंजी व्यय के लिए कटौती (Deduction for Capital Expenditure)** : पिछले वर्ष के दौरान किए गए पूंजीगत व्यय का 100%, उपर्युक्त व्यवसायों के लिए संपूर्ण और विशेष रूप से व्यवसाय आय से कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी।

➔ हालांकि, किसी भी भूमि, सद्भावना या वित्तीय साधन के अधिग्रहण पर किए गए व्यय कटौती के लिए पात्र नहीं होंगे।

➔ आगे, किसी भी व्यय के सम्बन्ध में किसी भी व्यय के भुगतान या कुल भुगतान के एक व्यक्ति को एक दिन में ₹ 10,000 से अधिक की राशि के लिए भुगतान किया जाता है अन्यथा किसी बैंक या किसी खाता भुगतानकर्ता बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम एक बैंक खाते के माध्यम से कटौती के लिए पात्र नहीं होगा।

- (3) **ऑपरेशन शुरू करने से पहले व्यय (Expenditure prior to commencement of operation)** : आगे, ऑपरेशन शुरू करने से पहले निर्दिष्ट व्यापार के उद्देश्य के लिए, पूरी तरह से और विशेष रूप से किए गए व्यय को पिछले वर्ष के दौरान कटौती की अनुमति दी जाएगी जिसमें निर्धारित अपने विशिष्ट व्यापार। प्रारंभ होने से पहले की गई राशि को अपने परिचालनों के प्रारंभ होने की तिथि पर निर्धारित के खाते में पुस्तकों में कैपिटल किया जाना चाहिए।
- (4) **शर्तों को पूरा करने के लिए (Conditions to be fulfilled)** : धारा 35AD के तहत कटौती का दावा करने के लिए निर्दिष्ट व्यापार को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए—

सामान्य परिस्थितियां :	
प्रत्येक निर्दिष्ट व्यवसाय द्वारा पूरा किया जाना	
(i)	इसे अस्तित्व में पहले से ही एक व्यवसाय के विभाजन या पुनर्निर्माण के द्वारा स्थापित नहीं किया जाना चाहिए;
(ii)	इसे किसी विशेष प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले मशीनरी या संयंत्र के विशिष्ट व्यापार को हस्तांतरण द्वारा स्थापित नहीं किया जाना चाहिए; इस शर्त को पूरा करने के लिए, इस तरह के हस्तांतरित संयंत्र या मशीनरी का कुल मूल्य नए व्यापार में उपयोग किए गए कुल संयंत्र या मशीनरी के मूल्य के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस शर्त के प्रयोजन के लिए, मशीनरी या संयंत्र को पहले से उपयोग नहीं माना जाएगा यदि इसका उपयोग निर्धारित के अलावा किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किया गया था, तो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट किया गया है : (a) ऐसे संयंत्र या मशीनरी निर्धारित द्वारा स्थापना की तारीख से पहले किसी भी समय भारत में इस्तेमाल नहीं किया गया था; (b) संयंत्र या मशीनरी को एक विदेशी देश से भारत में आयात किया गया था;

	(c) ऐसे संयंत्र या मशीनरी के मूल्यहास के सम्बन्ध में कोई कटौती निर्धारिती द्वारा स्थापना की तारीख से पहले किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी गई है।
विशिष्ट निर्दिष्ट व्यवसायों द्वारा पूरा करने के लिए आवश्यक शर्तें :	
I. वितरण के लिए क्रॉस-कंट्री नैसर्गिक गैस या क्रूड या पेट्रोलियम तेल पाइपलाइन नेटवर्क को बिछाने और संचालित करना, ऐसे नेटवर्क का एक अभिन्न हिस्सा भंडारण सुविधाओं सहित	
(i)	इस तरह के व्यवसाय को कम्पनी अधिनियम, 1956 ⁸ के तहत भारत में पंजीकृत या पंजीकृत कम्पनी द्वारा स्वामिति किया जाना चाहिए या ऐसी कंपनियों के एक संघ द्वारा या किसी प्राधिकरण या बोर्ड या निगम द्वारा स्थापित किया जाए या किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत गठित किया जाए;
(ii)	इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और सरकारी गराज में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाना चाहिए।
(iii)	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों अनुसार दी गई कुल पाइपलाइन क्षमता का भाग निर्धारिती या संबंधित व्यक्ति को छोड़कर अन्य व्यक्ति द्वारा सामान्य वाहन में उपयोग करने के लिए प्रदान की गई हो उसे कम नहीं होनी चाहिए।
(iv)	यह किसी अन्य निर्धारित शर्त को पूरा करना चाहिए
II. विकास का संचालन और बनाए रखने या विकसित करने, संचालन और एक नई बुनियादी सुविधा को बनाए रखने का व्यवसाय	
(i)	व्यवसाय भारत में पंजीकृत किसी कम्पनी या ऐसी कंपनियों के एक संघ द्वारा या किसी प्राधिकरण या बोर्ड या निगम या किसी भी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित या गठित किसी अन्य संस्था द्वारा स्वामित्व किया जाना चाहिए।
(ii)	इकाई को केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सांविधिक निकाय के साथ एक नई बुनियादी ढांचा सुविधा विकसित, संचालन और बनाए रखने या विकसित करने, संचालन और बनाए रखने के लिए समझौते में प्रवेश करना चाहिए था।

(5) शीर्ष C के तहत धारा 10AA या अध्याय VI-A के तहत कोई कटौती" (No deduction under section 10AA or Chapter VI-A under the heading "C.-Deductions in respect of certain incomes":)

कुछ आय के सम्बन्ध में अनुदेश " : जहां इस खंड के तहत एक कटौती का दावा किया जाता है और किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए निर्दिष्ट व्यापार के सम्बन्ध में अनुमति दी जाती है, शीर्षक" सी के तहत अध्याय छठी-ए के प्रावधानों के तहत कोई कटौती नहीं है।

कुछ आय के सम्बन्ध में कटौती "या खंड 10 एए इस तरह के निर्दिष्ट व्यापार के सम्बन्ध में उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए अनुमति है।

⁸ Now Companies Act, 2013

इसी के साथ, धारा 80 ए को यह संशोधित करने के लिए संशोधन किया गया है कि "कुछ आय के सम्बन्ध में सी-हट" शीर्षक के तहत इस अध्याय के किसी भी प्रावधान के तहत किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए इस तरह के विशिष्ट व्यापार के मुनाफे के सम्बन्ध में दावा किया जाता है, उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए इस तरह के विशिष्ट व्यापार के सम्बन्ध में धारा 35D के तहत कोई कटौती की अनुमति नहीं है।

→ संक्षेप में, एक बार निर्धारिती ने निर्दिष्ट व्यवसाय के सम्बन्ध में किसी विशेष वर्ष के लिए धारा 35AD के तहत कटौती के लाभ का दावा किया है, तो वह कुछ आय के सम्बन्ध में "सी-कटौती" शीर्षक के तहत अध्याय छठी-ए के तहत लाभ का दावा नहीं कर सकता है। "या एक ही या किसी अन्य वर्ष के लिए अनुभाग 10AA और इसके विपरीत।

- (6) इस धारा के तहत अनुमति के लिए व्यय के सम्बन्ध में अधिनियम के तहत कोई कटौती स्वीकार्य नहीं है (No deduction allowable under the Act in respect of expenditure for which deduction allowed under this section) : निर्धारिती वर्तमान में आयकर अधिनियम, 1961 के किसी भी अन्य प्रावधान के तहत निर्दिष्ट व्यापार के लिए किए गए खर्च के सम्बन्ध में कटौती का दावा नहीं कर सकता है। वर्ष या किसी अन्य वर्ष के लिए इस अनुभाग के तहत।
- (7) निर्दिष्ट व्यवसायों की शुरुआत की तारीख (Date of Commencement of specified businesses) : निर्दिष्ट व्यवसायों की शुरुआत की तारीख वाली तालिका अगले पृष्ठ में दी गई है—

	निर्दिष्ट व्यवसाय	परिचालन शुरू होने की तिथि
1	वितरण के लिए एक क्रॉस कंट्री प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क	1 अप्रैल, 2007 को या उसके बाद
2	(a) भारत में कहीं भी निर्माण और संचालन, केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट दो-स्टार या ऊपर श्रेणी के होटल (b) मरीजों के लिए कम-से-कम 100 बिस्तरों के साथ अस्पताल (c) झुग्गी पुनर्विकास या पुनर्वास आवास परियोजनाएं	1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद
3	(a) किफायती आवास परियोजनाएं और (b) किसी नए संयंत्र में उर्वरक का उत्पादन या मौजूदा संयंत्र में एक नई स्थापित क्षमता में	1 अप्रैल, 2011 को या उसके बाद
4	(a) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत अधिसूचित या अनुमोदित एक अंतर्देशीय कंटेनर डिपो या एक कंटेनर फ्रेट स्टेशन की स्थापना और संचालन,	1 अप्रैल, 2012 को या उसके बाद

	(b) मधुमक्खी पालन और शहर और मोम का उत्पादन और (c) चीनी भंडारण के लिए एक भंडारण सुविधा की स्थापना और संचालन	
5	(a) लौह अयस्क के परिवहन के लिए एक स्लरी पाइपलाइन बिछाने और संचालित करना (b) एक अर्द्ध कंडक्टर वेफर निर्माण विनिर्माण इकाई की स्थापना और संचालन	1 अप्रैल, 2014 को या उसके बाद
6	विकास का संचालन और रखरखाव या विकास, संचालन और रखरखाव, किसी बुनियादी ढांचा सुविधा	1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद
7	किसी अन्य मामले में, अर्थात्— (a) विशिष्ट उत्पादों के लिए "शीत-शृंखला" सुविधाएं सेट करना और संचालन करना या (b) कृषि उत्पादन भंडारण के लिए भंडारण सुविधाएं	1 अप्रैल, 2009 को या उसके बाद

(8) कुछ शब्दों का अर्थ (Meaning of Certain Terms)

शब्द	अर्थ
कोल्ड चेन सुविधा	कृषि और वन उत्पादन, मांस और मांस उत्पादों, मुर्गी पालन, समुद्री और डेयरी उत्पादों, बागवानी के उत्पादों, फूलों की खेती और मधुमक्खी पालन और संसाधित खाद्य पदार्थों के भंडारण या परिवहन के लिए सुविधाओं की एक शृंखला जिसमें ऐसे उत्पादन का प्रशीतन और संरक्षण के लिए आवश्यक अन्य सुविधाएं शामिल हैं
सम्बन्धित व्यक्ति	निर्धारिती के सम्बन्ध में एक व्यक्ति— (i) जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या निर्धारिती के प्रबंधन या नियंत्रण या पूंजी में एक या अधिक बिचौलियों के माध्यम से भाग लेता है; (ii) जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निर्धारिती की पूंजी में मतदान शक्ति का कम-से-कम छह प्रतिशत से अधिक नहीं लेते शेयरों; (iii) जो निदेशक मंडल या आधिकारिक बोर्ड के सदस्यों के आधे से अधिक नियुक्त करता है, या एक या अधिक कार्यकारी निदेशकों या निर्धारिती के शासी बोर्ड के कार्यकारी सदस्य; या (iv) जो निर्धारिती की कुल उधार के 10% से कम नहीं गारंटी देता है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधा	<p>(i) टोल रोड, एक पुल या रेल प्रणाली सहित एक सड़क।</p> <p>(ii) हाईवे परियोजना के एक अभिन्न अंग के रूप में आवास या अन्य गतिविधियों सहित एक राजमार्ग परियोजना।</p> <p>(iii) एक जल आपूर्ति परियोजना, जल उपचार प्रणाली, सिंचाई परियोजना, स्वच्छता और सीवरेज प्रणाली या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली।</p> <p>(iv) समुद्र में एक बंदरगाह, हवाई अड्डे, अंतर्देशीय जलमार्ग, अंतर्देशीय बंदरगाह या नेविगेशन चैनल।</p>
-------------------------	--

- (9) निर्दिष्ट व्यवसाय से हानि का सेट-ऑफ या आगे ले जाना और सेट-ऑफ करना (Set off or carry forward and set-off of loss from specified business) : किसी निर्दिष्ट व्यापार के सम्बन्ध में धारा 35AD के तहत एक निर्धारिती की कटौती का दावा करने से धारा 73A के तहत किसी अन्य निर्दिष्ट व्यवसाय के लाभ के खिलाफ निर्धारित किया जा सकता है। भले ही उत्तराधिकरण धारा 35AD के तहत कटौती के लिए योग्य है या नहीं।

उदाहरण (Example) :

इसलिए एक निर्धारिती, एक अस्पताल या होटल के नुकसान को बंद कर सकता है जो 1 अप्रैल, 2010 के बाद काम करना शुरू हो जाता है और जो एक अस्पताल संचालित करने के लिए मौजूदा कारोबार के मुनाफे के मुकाबले कटौती धारा 35 AD के लिए योग्य है (कम से कम 100 बेड के लिए मरीजों) या एक होटल (दो-स्टार, या उपर्युक्त श्रेणी के), भले ही उत्तरार्द्ध धारा 35 AD के तहत कटौती के लिए योग्य नहीं है।

उदाहरण (Illustration) 9

श्री ए 1.4.2019 को अनाज, चीनी और खाद्य तेल के भंडारण के लिए एक भंडारण सुविधा स्थापित करने के व्यवसायों की शुरुआत हुई। उन्होंने जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 की अवधि के दौरान उपर्युक्त व्यवसायों के लिए भूमि और भवन की खरीद पर क्रमशः ₹ 80 लाख, ₹ 60 लाख और ₹ 50 लाख का पूंजी व्यय लगाया, और इसके खातों की पुस्तकों में ही पूंजीकरण किया। 1 अप्रैल, 2019 के अनुसार। उपर्युक्त आंकड़ों में शामिल भूमि की लागत क्रमशः ₹ 50 लाख, ₹ 40 लाख और ₹ 30 लाख है। इसके अलावा, P.Y. 2019-20 के दौरान, इसके लिए क्रमशः ₹ 20 लाख, ₹ 15 लाख और ₹ 10 लाख का पूंजीगत व्यय खरीदा था और इसके बाद के कारोबार के लिए विशेष रूप से उपयोग किए गए भवन के विस्तार/पुनर्निर्माण के लिए किया गया था। A.Y. 2019-20 के लिए "व्यवसाय और पेशे के मुनाफे और लाभ" के सिरे के नीचे की आय की गणना करें और हानि को आगे बढ़ाया जाए, मान लें कि श्री ए ने धारा 35AD के तहत कटौती के दावे के लिए निर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा किया है और शीर्षक "सी के तहत अध्याय VI-A के तहत किसी कटौती का दावा नहीं किया। कुछ आय के सम्बन्ध में खाद्य अन्न, चीनी तथा खाद्य तेल के संग्रह के लिए भंडार सुविधा के व्यापार से होने वाले मुनाफे (धारा 35AD तथा 32 में कटौती लेने से पहले) A.Y. 2020-21 के लिए ₹ 16 लाख, ₹ 14 लाख तथा ₹ 31 लाख है। यह भी मानें कि खर्चों से संबंधित भुगतान अदाता खाता चेक या बैंक खाते द्वारा ECS से किया गया है।

हल (Solution)

A.Y. 2020-21 के लिए व्यवसाय या पेशे के मुनाफे और लाभ की गणना
(Computation of profits and gains of business or profession for A.Y.2020-21)

विवरण	(₹ लाख में)
खाद्य तेल के भंडारण के लिए गोदाम की स्थापना के कारोबार से लाभ (धारा 32 के तहत अवमूल्यन के लिए प्रदान करने से पहले)	31
घटाओ : धारा 32 के तहत मूल्यहास ₹ 30 लाख के 10% (₹ 50 लाख – ₹ 30 लाख + ₹ 10 लाख)	3
"व्यवसाय या पेशे से लाभ और लाभ" के तहत आय प्रभार्य	28

धारा 35AD के तहत निर्दिष्ट व्यापार से आय/नुकसान की गणना
(Computation of income/loss from specified business under section 35AD)

	विवरण	अनाज	चीनी	कुल
		(₹ लाख में)		
(a)	एक भंडारण सुविधा स्थापित करने के निर्दिष्ट व्यापार से लाभ (धारा 35 AD के तहत कटौती प्रदान करने से पहले) घटाओ : धारा 35AD के तहत कटौती	16	14	30
(b)	1.4.2019 से पहले किए गए पूंजीगत खर्च (यानी, व्यवसाय शुरू करने से पूर्व) और 1.4.2019 (भूमि के अधिग्रहण पर किए गए व्यय को छोड़कर) के खातों की पुस्तकों में पूंजीकरण = ₹ 30 लाख (₹ 80 लाख – ₹ 50 लाख) और ₹ 20 लाख (₹ 60 लाख – ₹ 40 लाख)	30	20	50
(c)	P.Y. 2019-20 के दौरान किए गए पूंजीगत व्यय	20	15	35
(d)	कुल पूंजी व्यय (B + C)	50	35	85
(e)	धारा 35AD के तहत कटौती पूंजीगत व्यय का 100% (अनाज, चीनी)	50	35	85
	A.Y.2020-21 के लिए/35AD के लिए कुल कटौती	50	35	85
(f)	निर्दिष्ट व्यवसाय से नुकसान धारा 73 ए (a-e) के अनुसार आगे बढ़ने के लिए भंडारण सुविधा (धारा 35AD के तहत कटौती के लिए प्रदान करने के बाद) की स्थापना और संचालन	(34)	(21)	(55)

नोट (Notes) :

- (i) कृषि भंडारण के लिए एक भंडारण सुविधा स्थापित करने और स्थापित करने और चीनी के भंडारण के लिए एक भंडारण सुविधा की स्थापना और संचालन के विशिष्ट व्यापार के सम्बन्ध में, पूंजी व्यय के 100% की कटौती A.Y. 2020-21 के लिए उपलब्ध है। उत्पादन जहां परिचालन 01.04.2012 को या उसके बाद शुरू किया गया है। या 01.04.2009 को या उसके बाद शुरू किया गया है।
- (iii) हालांकि, खाद्य तेलों के भंडारण के लिए एक भंडारण सुविधा की स्थापना और संचालन के बाद से एक विशिष्ट व्यापार नहीं है, ऐसे कारोबार के सम्बन्ध में किए गए पूंजीगत व्यय के सम्बन्ध में, AA धारा 35 AD के तहत कटौती के लिए योग्य नहीं है।
- (iv) हालांकि, इमारतों पर किए गए पूंजीगत व्यय के सम्बन्ध में श्री ए, धारा 32 के तहत 10% के दायरे का दावा कर सकता है। यह माना जाता है कि P.Y. वाय 2019-20 के दौरान 180 से अधिक दिनों के लिए इमारतों का उपयोग किया गया था।
- (v) किसी निर्दिष्ट व्यापार से होने वाले नुकसान को केवल एक निर्दिष्ट व्यापार से मुनाफे के खिलाफ सेट-ऑफ किया जा सकता है। इसलिए, अनाज और चीनी के भंडारण के लिए एक भंडारण सुविधा की स्थापना और संचालन के निर्दिष्ट व्यवसायों से ₹ 55 लाख की हानि को घटाई सुविधा के संचालन और परिचालन के कारोबार से ₹ 28 लाख के मुनाफे के खिलाफ स्थापित नहीं किया जा सकता है। खाद्य तेलों का भंडारण, क्योंकि यह एक विशिष्ट व्यापार नहीं है हालांकि, इस तरह की हानि को उसी या किसी अन्य निर्दिष्ट व्यापार के मुनाफे के खिलाफ सेट-ऑफ के लिए अनिश्चित काल तक आगे बढ़ाया जा सकता है।

उदाहरण (Illustration) 10

श्री सूरज, एक मालिक, ने 1.4.2019 को तमिलनाडु में मदुरै में एक नए तीन सितारा होटल के व्यवसाय की शुरुआत की। उन्होंने जनवरी, 2019 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान केवल उपयुक्त व्यवसाय के लिए ₹ 50 लाख का पूंजी व्यय लगाया और 1 अप्रैल, 2019 को अपने पुस्तकों में उसी का पूंजीकरण किया। इसके अलावा, P.Y. 2019-20 के दौरान, उन्होंने उपयुक्त व्यवसाय के लिए विशेष रूप से ₹ 2 करोड़ का पूंजीगत खर्च (जिसमें से ₹ 1.50 करोड़ भूमि अधिग्रहण के लिए था)

A.Y. 2020-21 के लिए "व्यवसाय और पेशे के मुनाफे और लाभ" के सिर के नीचे की आय का आकलन करें, मान लें कि उसने धारा 35AD के तहत कटौती के दावे के लिए निर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा किया है और इसके तहत अध्याय VI-A के तहत किसी भी कटौती का दावा नहीं किया है। शीर्षक "सी। - कुछ आय के सम्बन्ध में कटौती" इस होटल (धारा 35AD के तहत कटौती का दावा करने से पहले) के कारोबार के मुनाफे को A.Y. 2020-21 के लिए ₹ 25 लाख है मान लें कि उन्होंने कोयंबटूर में चार सितारा होटल चलाने का एक और मौजूदा व्यवसाय भी किया है, जो दस वर्ष पहले शुरू हुआ था, जिसका मुनाफा A.Y. 2020-21 के लिए ₹ 120 लाख है। इसके अलावा, मान लें कि पिछले वर्ष 2020-21 के दौरान किये गए व्यय खाते के भुगतानकर्ता चेक या बैंक खाते के माध्यम से ईसीएस का उपयोग कर रहे हैं।

हल (Solution)

कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए व्यवसाय या पेशे से लाभ और मुनाफे की गणना
(Computation of profits and gains of business or profession for A.Y. 2020-21)

विवरण	₹
मदुरै में नए होटल के निर्दिष्ट कारोबार से लाभ (धारा 35AD के तहत कटौती प्रदान करने से पहले)	25 लाख
घटाओ : धारा 35AD के तहत कटौती	
P.Y. 2019-20 (भूमि के अधिग्रहण पर किए गए व्यय को छोड़कर) के दौरान किए गए पूंजीगत खर्च = ₹ 200 लाख – ₹ 150 लाख	50 लाख
1.4.2019 से पहले किए गए पूंजीगत व्यय (यानी व्यापार की शुरुआत से पहले) और 1.4.2019 को खाते की पुस्तकों में पूंजीकृत	50 लाख
A.Y. 2020-21 के लिए धारा 35 ए के तहत कुल कटौती	100 लाख
मदुरै में नए होटल के निर्दिष्ट व्यापार से नुकसान	(75 लाख)
कोयंबटूर में एक होटल चलाने के मौजूदा कारोबार का लाभ	120 लाख
धारा 73 ए के तहत किसी अन्य निर्दिष्ट व्यापार के मुनाफे के खिलाफ विशिष्ट व्यापार के नुकसान के सेट-ऑफ के बाद कारोबार से शुद्ध लाभ	45 लाख

- (10) निर्धारिती द्वारा निर्मित होटल का स्थानांतरण (Transfer of hotel built by the assessee) : जहां निर्धारिती केंद्र सरकार द्वारा वर्गीकृत दो-स्टार या उससे ऊपर की श्रेणी का होटल बनाती है, और बाद में, होटल के पास ही रहती है, वहीं होटल के ऑपरेशन को दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित करता है, निर्धारिती को होटल के निर्माण और संचालन के निर्दिष्ट व्यापार पर ले जाने के लिए समझा जाएगा। इसलिए, वह धारा 35AD के तहत निवेश से सम्बन्धित कर कटौती का दावा करने के लिए पात्र होगा।

इसलिए, असल में, निर्धारिती को इमारत के निर्दिष्ट व्यापार और होटल ऑपरेटिंग होने पर समझा जाएगा यदि—

- निर्धारिती दो-स्टार या उससे ऊपर की श्रेणी का होटल बनाता है;
- उसके बाद, वह होटल के ऑपरेशन को दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित करता है;
- हालांकि, उसे होटल के मालिकाना जारी रखना चाहिए

- (11) धारा 35AD के तहत निहित अन्य शर्तें (Other conditions Contained Under Section 35AD)

	विवरण	शर्त
1.	माल और सेवाओं का स्थानांतरण	जहां निर्दिष्ट व्यापार के उद्देश्यों के लिए आयोजित किए गए किसी भी सामान या सेवा को निर्धारिती द्वारा या किसी अन्य व्यवसाय में ले जाया जाता है, और यदि इस तरह के

		<p>हस्तांतरण के लिए विचार माल या सेवाओं के बाजार मूल्य के अनुरूप नहीं है तो निर्दिष्ट व्यापार के लाभ और लाभ की गणना की जाएगी जैसे स्थानांतरण बाजार मूल्य पर किया गया था।</p> <p>मार्केट वैल्यू का मतलब है कि ऐसे सामान या सेवाओं को सामान्य रूप से खुले बाजार में लाने होंगे, वैधानिक या नियामक प्रतिबंधों के अधीन, यदि कोई हो।</p> <p>जहाँ निर्धारिती तथा अन्य व्यक्ति के बीच में निजी संबंध के कारण या अन्य कारण के वजह से निर्धारण अधिकारी को लगता है कि विशिष्ट व्यापार के मुनाफे सामान्य मुनाफे से ज्यादा है तो निर्धारण अधिकारी कथित व्यापार के मुनाफे की गणना तर्कशील आधार पर कर सकता कटौती मान्य करने के लिए।</p>
2.	खातों की अंकेक्षण	<p>कटौती की निर्धारिती के लिए अनुमति दी जाएगी यदि सम्बन्धित पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती के खातों को चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा अंकेक्षण दी गई है और निर्धारिती निर्धारित फॉर्म में लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, विधिवत हस्ताक्षरित और उसकी वापसी के साथ ऐसे एकाउंटेंट द्वारा स्थापित आय का।</p>
3.	संपत्ति विशिष्ट व्यापार के लिए आठ वर्ष तक इस्तेमाल होगी	<p>धारा 35 AD (7 A) से यह सूचित किया गया है कि धारा 35 AD के तहत किसी भी परिसंपत्ति का दावा किया गया है और अनुमति दी गई है, केवल पिछले कारोबारी से आठ वर्ष की अवधि के लिए निर्दिष्ट व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें ऐसी परिसंपत्ति अधिग्रहण या निर्माण किया गया है।</p>
4.	(i) संपत्ति को ध्वस्त, नष्ट कर दिया, त्याग दिया या स्थानांतरित किया गया जिसके लिए कटौती का दावा किया गया है	<p>यदि धारा 35AD के तहत किसी भी परिसंपत्ति पर दावा किया गया है और अनुमति दी गई है, तो ध्वस्त, नष्ट, त्याग या स्थानांतरित कर दिया गया है, उसी के लिए प्राप्त राशि या प्राप्ति योग्य धारा 28 के खंड (vii) के तहत कर के लिए कर योग्य है। एक ऐसे मामले में जहां धारा 35AD के तहत कटौती की गई संपत्ति पर विनिर्दिष्ट उपर्युक्त निर्दिष्ट के अलावा किसी अन्य तरीके से निर्दिष्ट व्यापार के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है।</p>

	(ii) निर्दिष्ट व्यापार के अलावा किसी भी अन्य व्यवसाय के लिए इस्तेमाल की गई संपत्ति	अगर संपत्ति निर्दिष्ट व्यापार के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है, तो इस तरह की परिसंपत्ति के सम्बन्ध में किसी भी पिछले वर्ष दावा किया गया और स्वीकार्य कुल कटौती की राशि के रूप में धारा 32 के प्रावधानों के अनुसार मूल्यह्रास की मात्रा के अनुसार स्वीकार्य है। धारा 35 AD के तहत कोई कटौती की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसे पिछले वर्ष के मुनाफे और लाभ के तहत निर्धारिती के आय के रूप में माना जाएगा, जिसमें परिसंपत्ति का उपयोग किया जाता है। इस स्थिति में, धारा 43 (1) के स्पष्टीकरण 13 के प्रावधान अनुसार, सम्पत्ति का दाम कर निर्धारिती के लिए उसके सही दाम में से उसके प्राप्त करने की तिथि से व्यापार में उपयोग होने तक के समय पर लगने वाले मान्य मूल्यह्रास को घटाकर माना जाएगा।
	हालांकि, उप-धारा (7 बी) के तहत समझा जाने वाला प्रावधान किसी कम्पनी के लिए लागू नहीं होगा जो बीमार औद्योगिक कंपनियों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 17 (1) के तहत एक बीमार औद्योगिक कम्पनी बन गया है आठ वर्ष में जो उप-धारा (7 ए) में निर्दिष्ट हैं।	

उदाहरण (Illustration) 11

श्री अरनव दो इकाइयों वाले मालिक हैं—इकाई ए को चीनी के भंडारण के लिए एक भंडारण सुविधा की स्थापना और संचालन के विशिष्ट व्यापार पर किया जाता है; खनिज बी खाद्य तेल के भंडारण के लिए भंडारण सुविधा के संचालन के गैर-निर्दिष्ट व्यापार पर किया जाता है।

यूनिट ए ने 1.4.2018 को परिचालन शुरू किया और इसके अनुसार, A.Y. 2019-20 के लिए धारा 35AD के तहत दो भवनों की खरीद के लिए ₹ 50 लाख प्रत्येक (शक्कर के भंडारण के लिए भंडारण सुविधा के संचालन के लिए) की लागत पर ₹ 100 लाख की कटौती का दावा किया। हालांकि, फरवरी 2020 में, यूनिट ए ने अपनी इमारतों में से एक को यूनिट बी में स्थानांतरित कर दिया। श्री अरनव के हाथों में इस तरह के हस्तांतरण के कर के निहितार्थ की जांच करें।

हल (Solution)

पूँजीगत परिसंपत्ति से सम्बन्धित धारा 50 AD के तहत ₹ 50 लाख की कटौती के सम्बन्ध में दावा किया गया था कि P.Y. 2019-20 में गैर-विशिष्ट कारोबार पर यूनिट बी को निर्दिष्ट व्यापार के लिए यूनिट ए से एक स्थानांतरित किया गया है, जिसके तहत डीमिंग प्रावधान धारा 35AD (7B) को A.Y. 2020-21 के दौरान आकर्षित किया गया है।

विवरण	₹
A.Y. 2019-20 के लिए धारा 35AD के तहत स्वीकृत छूट	50,00,000
घटाओ : A.Y. 2019-20 के लिए मूल्यहास स्वीकार्य धारा 32 में (₹ 50 लाख का 10%)	5,00,000
धारा 35AD (7B) के तहत मानी गई आय	45,00,000

श्री अरनव, हालांकि, धारा 43 (1) के लिए स्पष्टीकरण 13 के लिए प्रावधान के आधार पर, यूनिट बी में निर्माण पर धारा 32 के तहत मूल्यहास का दावा कर सकते हैं। यूनिट बी में निर्माण पर मूल्यहास का दावा करने के उद्देश्य से, भवन की वास्तविक लागत होगी :

विवरण	₹
निर्धारिती के लिए वास्तविक लागत	50,00,000
घटाओ : A.Y. 2019-20 के लिए मूल्यहास स्वीकार्य धारा 32 (₹ 50 लाख का 10%)	5,00,000
यूनिट बी में भवन के सम्बन्ध में श्री अरनव के हाथ में वास्तविक लागत	45,00,000

(vii) ग्रामीण विकास के लिए योगदान (धारा 35CCA) [Contributions for Rural Development (Section 35CCA)]

यह खंड पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा किए गए निम्नलिखित व्यय की कटौती की अनुमति देता है :

(1) अधिसूचित ग्रामीण विकास निधि (Notified rural development fund) : केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और अधिसूचित एक ग्रामीण विकास निधि के लिए भुगतान इस प्रयोजन के लिए 'ग्रामीण विकास के कार्यक्रम' का अभिव्यक्ति एक ही अर्थ है जैसा कि इसे धारा 35CC(i) के स्पष्टीकरण के तहत सौंपा गया है।

(2) अधिसूचित राष्ट्रीय शहरी गरीबी अन्मूलन विधि (Notified National Urban Poverty Eradication Fund) : केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और अधिसूचित "राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन निधि" (एनयूपीईएफ) के लिए किए गए भुगतान।

कोई अन्य कटौती नहीं (No other deduction) : यह विशेष रूप से प्रदान किया गया है कि हर मामले में जहां ग्रामीण विकास के लिए योगदान के सम्बन्ध में कोई कटौती निर्धारिती द्वारा दावा किया जाता है और किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए अनुमोदित में योगदान के भुगतान के माध्यम से किए गए किसी व्यय के सम्बन्ध में उसे अनुमति दी जाती है संघ या संस्था, उसी व्यय के सम्बन्ध में किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान के तहत निर्धारिती द्वारा फिर से दावा नहीं किया जा सकता है।

(viii) अधिसूचित कृषि विस्तार परियोजना पर किए गए व्यय के सम्बन्ध में भारित कटौती (धारा 35CCC) [Weighted deduction in respect of expenditure incurred on notified agricultural extension project (Section 35CCC)]

(1) योग्य परियोजना और कटौती का क्वांटम (Eligible project and Quantum of Deduction) : बेहतर और प्रभावी कृषि सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यावसायिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, धारा 35 सीसीसी अनुसार कृषि विस्तार परियोजना पर

निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय के 150% के बराबर राशि का भारित कटौती प्रदान करता है। निर्धारित दिशानिर्देशों के साथ।

(2) **कोई अन्य कटौती नहीं (No Other Deduction)** : यदि इस धारा के तहत इस तरह के व्यय के सम्बन्ध में कटौती की अनुमति है, तो इस तरह के व्यय के संबन्ध में कोई भी कटौती इस अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधानों के तहत उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष में नहीं दी जाएगी।

(3) **परियोजना को सूचित किया जाना चाहिए (Project must be notified)** : इस भारित कटौती के लिए योग्य कृषि विस्तार परियोजना सीबीडीटी द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

कृषि विस्तार परियोजना को अधिसूचना के लिए विचार किया जाएगा यदि वह निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है, अर्थात्—

- (i) इस परियोजना को किसानों के प्रशिक्षण, शिक्षा और मार्गदर्शन के लिए एक निर्धारिती द्वारा किया जाएगा;
- (ii) इस परियोजना के पास भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन होंगे; तथा
- (iii) एक व्यय (किसी भी जमीन या भवन की लागत की प्रकृति में व्यय नहीं) परियोजना के लिए ₹ 25 लाख की राशि से अधिक होने की उम्मीद है।

व्यय के अवयव (Components of expenditure) : सभी खर्च (किसी भी जमीन या भवन की लागत की प्रकृति में खर्च नहीं), लाभार्थी से प्राप्त की गई राशि से कम होने पर, यदि कोई हो, तो एक योग्य कृषि विस्तार परियोजना के लिए पूरी तरह से खर्च किया जाएगा। धारा 35 CCC के तहत कटौती के लिए

हालांकि, किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्धारिती को प्रतिपूर्ति या प्रतिपूर्ति के लिए कृषि विस्तार परियोजना पर किए गए व्यय, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, धारा 35CCC के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं होंगे।

(4) **भारित कटौती का दावा करने के लिए शर्तें (Conditions for Claiming Weighted Deduction)** : अधिसूचित कृषि विस्तार परियोजना के लिए किए गए व्यय के सम्बन्ध में भारित कटौती उपलब्ध होगी, यदि

- निर्धारिती ऐसे कृषि विस्तार परियोजना के खाते की अलग-अलग पुस्तकों को बनाए रखता है और एक लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षित लेखों की ऐसी पुस्तकों को प्राप्त करता है।
- आयकर आयकर या आयकर के निदेशक को आय की रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख को निम्नलिखित या उससे पहले प्रदान करें, जैसा कि मामला हो—
 - लेखापरीक्षित रिपोर्ट के साथ कृषि विस्तार परियोजना के लेखा-जोखा बयान और इस धारा के अंतर्गत दावा किए गए कटौती की राशि,
 - चालू वर्ष के दौरान कृषि कार्यक्रम के शुरू करने और कृषि विस्तार परियोजना के कार्यक्रम पर एक नोट और इस तरह के कार्यक्रम के लिए वित्तीय आबंटन और
 - इस परियोजना के वास्तविकता के सम्बन्ध में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से एक प्रमाण पत्र।

नोट (Note)—इस खंड के तहत कटौती P.Y. से 100% तक सीमित है। 2020-21 आगे (यानी A.Y. 2021-22 से आगे)

- (ix) अधिसूचित कौशल विकास परियोजना पर कंपनियों द्वारा किए गए व्यय के सम्बन्ध में भारत कटौती (धारा 35CCD) [Weighted deduction in respect of expenditure incurred by companies on notified skill development project (Section 35CCD)]
- (1) राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एनएमपी) को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा 4 नवंबर, 2011 को नोट के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। अधिसूचित एनएमपी के अनुसार, सरकार 150% भारत मानक कटौती करेगी। निर्माण क्षेत्र में आईटीआई में कौशल विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजना पर खर्च (भूमि या भवन के अलावा) खर्च। यह निजी क्षेत्र को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के समन्वय में अपनी संस्था स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- (2) कटौती का क्वांटम (Quantum of Deduction) : कंपनियों को विनिर्माण क्षेत्र में कौशल विकास परियोजनाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, धारा 35 CCD व्यय का 150% के बराबर राशि का भारत कटौती प्रदान करता है (लागत की प्रकृति में व्यय नहीं है किसी भी जमीन या इमारत) कम्पनी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार कौशल विकास परियोजना पर लगाए गए हैं।
- (3) कोई अन्य कटौती की अनुमति नहीं दी गई (No other deduction allowed:) : यदि इस धारा के तहत इस तरह के व्यय के सम्बन्ध में कटौती की अनुमति है, तो इस तरह के व्यय का कोई भी कटौती अधिनियम की किसी भी अन्य प्रावधानों के तहत उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष में नहीं दी जाएगी।
- (4) केवल अधिसूचित परियोजनाएं पात्र हैं (Only notified projects are eligible) : इस भारत कटौती के लिए पात्र कौशल विकास परियोजना को सीबीडीटी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

एक कौशल विकास परियोजना को एक पात्र कम्पनी (किसी भी लेख या वस्तु के निर्माण या उत्पादन के व्यवसाय में लगे कम्पनी, बीयर, शराब और अन्य मादक नस्लों और तम्बाकू एवं तम्बाकू तैयारी नहीं होने वाली या सूचनाओं के लिए एक कौशल विकास परियोजना पर विचार किया जाएगा। निर्दिष्ट सेवाएं प्रदान करना) और परियोजना को प्रशिक्षण संस्थान में अलग-अलग सुविधाओं में किया जाता है।

कम्पनी के मौजूदा कर्मचारियों के सम्बन्ध में कौशल विकास परियोजना, तथापि, अधिसूचना के लिए योग्य नहीं होगी, जहां ऐसे कर्मचारियों का प्रशिक्षण उनकी भर्ती के छह महीने के बाद शुरू होगा।


इसके अलावा, भारत कटौती उपलब्ध होगी, अगर कम्पनी ऐसी परियोजना का उपक्रम करेगी।

- कौशल विकास परियोजना के खाते की अलग-अलग पुस्तकों को बनाए रखें और एक एकाउंटेंट द्वारा लेखा-परीक्षा की ऐसी पुस्तकों को प्राप्त करें।
- लेखापरीक्षित रिपोर्ट के साथ और आय के रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख से पहले या उससे पहले इस अनुभाग के अंतर्गत दावा किए गए कटौती की राशि के साथ कौशल विकास परियोजना के खातों के लेखापरीक्षित बयान, आयकर या आयकर के निदेशक, जैसा कि मामला हो सकता है

नोट (Note)— इस खंड के तहत कटौती P.Y. से 100% तक सीमित होगी। 2020-21 आगे (यानी, A.Y. 2021-22)

- (x) **प्रारंभिक व्यय का परिशोधन (धारा 35D)** [Amortisation of Preliminary Expenses (Section 35D)]
- (1) **व्यय की प्रकृति (Nature of expenditure)** : धारा 35D व्यावसायिक चिंताओं की स्थापना या मौजूदा चिंताओं के कारोबार के विस्तार के लिए भारतीय कंपनियों और अन्य निवासी गैर-कॉर्पोरेट करदाताओं द्वारा किए गए प्रारंभिक व्यय के परिशोधन के लिए प्रदान करता है।
- (2) **लागू (Applicable)** : यह खंड लागू होता है
- (a) केवल भारतीय कंपनियों और निवासी गैर कॉर्पोरेट मूल्यांकनकर्ताओं के लिए;
- (b) नई कंपनियों के मामले में व्यापार के शुरू होने से पहले खर्च किए गए खर्च;
- (c) किसी मौजूदा उपक्रम के विस्तार के मामले में जब तक विस्तार पूरा नहीं हुआ है, अर्थात् नई इकाई के उत्पादन या संचालन शुरू होने तक एक नए यूनिट के खर्च की स्थापना के मामले में।
- (3) **कटौती के लिए योग्य राशि (Amount eligible for deduction)** : इस तरह के प्रारंभिक व्यय को 5 वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, इस तरह के व्यय का 1/5वां पिछले वर्ष से शुरू होने वाले पांच वर्षों में से प्रत्येक के लिए कटौती के रूप में स्वीकार्य है, जिसमें पिछले वर्ष से शुरू होता है या पिछले वर्ष, जिसमें उपक्रम का विस्तार पूरा हो चुका है या नई इकाई उत्पादन या संचालन शुरू करती है जैसा कि मामला हो सकता है।
- (4) **योग्य व्यय (Eligible Expenses)** : निम्नलिखित व्यय परिशोधन के लिए पात्र हैं :
- (i) के सम्बन्ध में व्यय—
- (a) व्यवहार्यता रिपोर्ट की तैयारी
- (b) परियोजना रिपोर्ट की तैयारी;
- (c) निर्धारिती के व्यवसाय के लिए आवश्यक बाजार सर्वेक्षण या किसी अन्य सर्वेक्षण को आयोजित करना;
- (d) निर्धारिती के व्यवसाय से सम्बन्धित इंजीनियरिंग सेवाएं ;
- (e) निर्धारिती के व्यवसाय का संचालन करने के लिए स्थापना से सम्बन्धित किसी भी उद्देश्य के लिए निर्धारिती और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी भी समझौते का प्रारूप तैयार करने के लिए कानूनी शुल्क।
- (ii) **जहां निर्धारिती एक कम्पनी है (Where the assessee is a company)** : उपर्युक्त के अलावा, व्यय किए गए—
- (f) कम्पनी के ज्ञापन और लेख के प्रारूप तैयार करने के लिए कानूनी शुल्क के माध्यम से;
- (g) ज्ञापन आर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के मुद्रण पर;

- (h) कम्पनी अधिनियम के तहत कम्पनी के पंजीकरण के लिए शुल्क के माध्यम से,⁹ 1956,
- (i) इस मुद्दे के सम्बन्ध में, सार्वजनिक सदस्यता के लिए, कम्पनी के शेयरों या डिबेंचर के, अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज और प्रॉपर्टीज के प्रारूपण, छपाई और विज्ञापन के लिए शुल्क; तथा
- (iii) व्यय की ऐसी अन्य वस्तुएं (अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान के तहत किसी भी भत्ता या कटौती के लिए योग्यता व्यय नहीं है), जैसा कि परिशोधन के उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। हालांकि, बोर्ड ने अभी तक, इस खंड के तहत परिशोधन के लिए योग्यता के रूप में किसी भी विशिष्ट वस्तु का निर्धारण नहीं किया है।
- उपर्युक्त मदों (a) से (d) में विनिर्दिष्ट व्यय के मामले में, व्यवहार्यता रिपोर्ट या परियोजना रिपोर्ट तैयार करने या बाजार सर्वेक्षण या किसी अन्य सर्वेक्षण या इंजीनियरिंग सेवाओं का आयोजन करने के सम्बन्ध में काम होना चाहिए निर्धारिती द्वारा स्वयं या किसी चिंता के द्वारा किया जाता है जो बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में अनुमोदित समय के लिए है।
- (5) **कुला सीमा (Overall Limits)** : योग्यता व्यय की अधिकतम राशि, जिसे परिषोधित किया जा सकता है, परियोजना की लागत का 5% या किसी भारतीय कम्पनी के मामले में तय किया गया है या कम्पनी के विकल्प पर 5% कम्पनी के व्यवसाय में नियोजित पूंजी का, जो भी अधिक हो क्वालीफाइंग खर्चों का अतिरिक्त, यदि कोई हो, तो इसकी अनदेखी की जाएगी।



⁹ अब कम्पनी अधिनियम, 2013

(6) कुछ शब्दों का अर्थ (Meaning of Certain Terms) :

शब्द	अर्थ
परियोजना की लागत	(i) व्यवसाय शुरू होने से पहले किए गए व्यय : व्यापार के प्रारंभ होने से पहले किए गए खर्चों के मामले में अचल संपत्तियों की वास्तविक लागत, जमीन, इमारतों, पट्टे, संयंत्र, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग, रेलवे की सिडिंग (व्यय सहित) भूमि के विकास पर, इमारतों) जो निर्धारिती की पुस्तकों में पिछले वर्ष के आखिरी दिन के रूप में दिखाए जाते हैं जिसमें निर्धारिती का व्यवसाय शुरू होता है;
	(ii) व्यवसाय के विस्तार या एक नई इकाई की स्थापना के लिए किए गए व्यय : व्यवसाय के विस्तार या एक नई इकाई की स्थापना के मामले में, अचल संपत्तियों की लागत भूमि, इमारतों, पट्टाधारियों, संयंत्र, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग और रेलवे की सिडिंग (भूमि और इमारतों के विकास पर व्यय सहित) जो पिछले वर्ष के आखिरी दिन के रूप में निर्धारिती की पुस्तकों में दिखाए गए हैं जिसमें उपक्रम का विस्तार पूरा हो गया है या, जैसा कि मामला हो सकता है कि, नई इकाई उत्पादन या संचालन शुरू करे, जहां तक उपक्रम के विस्तार या नई इकाई की स्थापना के सम्बन्ध में ऐसी संपत्तियां अधिगृहीत या विकसित की गई हैं।
कम्पनी के व्यवसाय में नियोजित पूंजी	(i) नई कम्पनी के मामले में, जारी किए गए शेयर पूंजी, डिबेंचर आदि दीर्घावधि उधार का कुल हिस्सा पिछले वर्ष के आखिरी दिन के रूप में होता है जिसमें कम्पनी का कारोबार शुरू होता है;
	(ii) व्यापार के विस्तार या एक नई इकाई की स्थापना के मामले में, जारी किए गए शेयर पूंजी, डिबेंचर और दीर्घावधि उधार का कुल लेखा वर्ष के आखिरी दिन के अनुसार, जिसमें विस्तार का विस्तार उपक्रम पूरा हो चुका है या, जैसा भी मामला हो, इकाई उत्पादन या संचालन शुरू करती है जैसे कि पूंजी, डिबेंचर और लंबी अवधि के उधार को उपक्रम के विस्तार या नए उपक्रम की स्थापना के सम्बन्ध में जारी या प्राप्त किया गया है या कम्पनी की नई इकाई की स्थापना
दीर्घकालिक उधार	भारत सरकार या भारत के औद्योगिक वित्त निगम या भारतीय औद्योगिक क्रेडिट और निवेश निगम या किसी भी अन्य वित्तीय संस्था से धारा 36(1)(iii) या किसी बैंकिंग संस्थान के तहत कटौती के लिए योग्य कम्पनी से भारत में उधार किसी भी धन या संयंत्र और मशीनरी के भारत के बाहर की खरीद के सम्बन्ध में किसी विदेशी देश में उधार ली गई किसी भी धन या ऋण, जहां ऐसी धनराशि उधार ली गई हो या ऋण का भुगतान किया गया है, सात वर्ष से कम समय की अवधि के दौरान इसके पुनर्भुगतान के लिए भुगतान नहीं किया गया है।

- (7) **खातों का अंकेक्षण (Audit of Accounts)** : जिन मामलों में निर्धारिती कम्पनी या सहकारी समिति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति है, कटौती केवल तब ही मान्य होगी जब वर्ष या वर्ष के लिए निर्धारिती के खाते में व्यय का खर्च होता है एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा अंकेक्षण की गई और निर्धारिती द्वारा पहले वर्ष के लिए आय की वापसी के साथ, जिस पर कटौती का दावा किया गया है, निर्धारित लेख में ऐसे लेखापरीक्षा की रिपोर्ट जिस पर लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाता है अन्य विवरण जो निर्धारित किया जा सकता है।
- (8) **एकीकरण और डिमर्जर के लिए विशेष प्रावधान (Special Provision for Amalgamation and Demerger)** : जहां किसी भारतीय कम्पनी का उपक्रम दस वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले, किसी अन्य भारतीय कम्पनी को एकीकरण की योजना के तहत धारा 2 (1 बी) में उल्लिखित प्रावधानों में परिभाषित किया गया है एकीकरण कम्पनी पर लागू होगा जैसे कि एकीकरण में जगह नहीं आई थी। लेकिन पिछले वर्ष के लिए एकीकरण कम्पनी के मामले में कोई कटौती स्वीकार्य नहीं होगी, जिसमें एकीकरण होता है। उप-धारा (5A) डिमर्जर की योजना के लिए समान प्रावधान प्रदान करता है। जहां परिणामस्वरूप कम्पनी प्रारंभिक व्ययों का परिशोधन का दावा करने में सक्षम हो सकती है, जैसे कि डिमर्जर नहीं हुए, और डिमर्जर के वर्ष में डिमर्ज की गई कम्पनी को कोई कटौती नहीं दी जाएगी।
- (9) **अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत कोई अन्य कटौती नहीं (No Other Deduction Under any Provision of the Act)** : यह स्पष्ट किया गया है कि यदि इस खंड के तहत कटौती का दावा किया गया है और खर्च के किसी भी मद के सम्बन्ध में किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए अनुमति दी गई है, तो उस कटौती के सम्बन्ध में व्यय इस तरह की अनुमति किसी भी अन्य प्रावधान के तहत उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए कटौती के लिए योग्य नहीं होगी।
- (xi) **स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत किए गए व्यय का परिशोधन (धारा 35DDA) [Amortisation of expenditure incurred Under Voluntary Retirement Scheme (Section 3 DDA)]** :
- (1) **व्यय की प्रकृति (Nature of Expenditure)** : यह खंड एक निर्धारिती पर लागू होता है, जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की किसी भी स्कीम या योजना के अनुसार, किसी भी कर्मचारी को अपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में किसी भी कर्मचारी को भुगतान के रूप में किसी भी पिछले वर्ष के व्यय का खर्च करता है।
- (2) **कटौती की राशि (Amount of Deduction)** : कटौती की राशि उस पिछले वर्ष के लिए भुगतान की गयी राशि का पांचवां हिस्सा है, और चार वर्षों में चार समान किस्तों में संतुलन तुरंत पिछले वर्ष सफल हो रहे हैं।
- (3) **व्यापार के हस्तांतरण (Transfer of Business)** : 5 वर्षों के मध्यकालीन अवधि के दौरान एकीकरण, डिमर्जर, पुनर्गठन या उत्तराधिकार के मामले में, कटौती का लाभ शेष वर्ष के लिए "नई कम्पनी" के लिए उपलब्ध होगा जो इस तरह के एकीकरण/डिमर्जर/पुनर्गठन या उत्तराधिकार होता है।

शर्त संतुष्ट होने के लिए (Condition to be Satisfied) : यह निम्न स्थितियां में लागू होंगी :

- (i) जहां एक भारतीय कम्पनी एक अन्य भारतीय कम्पनी को एकीकरण की योजना में स्थानांतरित की जाती है;
- (ii) जहां एक भारतीय कम्पनी का उपक्रम डिमर्जर की योजना में किसी अन्य कम्पनी को हस्तांतरित किया जाता है;
- (iii) जहां व्यापार के पुनः संगठन की वजह से, कम्पनी की धारा 47 (xiii)¹⁰ 2 में शर्तों को पूरा करने वाली एक कम्पनी का सफल हो गया है या किसी कम्पनी की मालिकाना चिंता सेक्शन 47 (xiv) में शर्तों को पूरा करने से सफल हुआ है;
- (iv) जहां किसी कम्पनी ने LLP में बदलाव किया है, जिसमें अनुभाग 47 (xiib)¹⁰ में निर्धारित शर्तों को पूरा किया गया है।

उपर्युक्त मामलों में, कटौती उत्तराधिकारी कम्पनी के लिए उपलब्ध होगी क्योंकि इस तरह की कटौती मूल इकाई के लिए होगी यदि इस तरह के हस्तांतरण बिल्कुल नहीं हुए थे।

यह आगे दिया गया है कि मूल इकाई को एकीकरण कम्पनी, या डिमर्ज्ड कम्पनी या पिछले वर्ष के लिए फर्म या मालिकाना चिंता (जैसा मामला हो) होने पर कोई कटौती उपलब्ध नहीं होगी, जिसमें एकीकरण, डिमर्जर या उत्तराधिकार होता है।

- (4) **अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान के तहत कई कटौती नहीं (No deduction under any provisions of the Act) :** अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान के तहत उपर्युक्त व्यय के सम्बन्ध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xii) अन्य कटौती (धारा 36) [Other Deductions (Section 36)]

यह खंड कुछ विशिष्ट खर्चों की कटौती को अधिकृत करता है। व्यय की वस्तुएं और जिन शर्तों के तहत इस तरह के व्यय कटौती योग्य हैं :

- (1) **बीमा प्रीमियम का भुगतान [धारा 36(1)(i)] [Insurance Premia Paid {Section 36(1)(i)}] :** यदि बीमा पॉलिसी जोखिम, व्यापार या पेशे के शेयर या भंडार के जोखिम, क्षति या विनाश के खिलाफ उठाई गई है, तो अदा किए गए प्रीमियर घटाया जा सकता है। लेकिन किसी अन्य उद्देश्य के लिए किए गए किसी भी बीमा के सम्बन्ध में प्रीमियम खंड के तहत स्वीकार्य नहीं है।
- (2) **संघीय दूध सहकारी सोसायटी द्वारा भुगतान बीमा प्रीमियम [धारा 36(1)(ia)] [Insurance Premia Paid by a Federal Milk Co-operative Society {Section 36(1)(i)}] :** एक फेडरल मिल्क को-ऑपरेटिव सोसायटी द्वारा प्रदत्त प्रीमियम की राशि के सम्बन्ध में कटौती की अनुमति दी जाती है, जो किसी एक सदस्य के स्वामित्व वाले मवेशियों के जीवन पर एक बीमा लागू करने या लागू करने के लिए – सक्रिय समाज एक ऐसा प्राथमिक संघ है जिसका सदस्य अपने सदस्यों द्वारा ऐसे संघीय दूध सहकारी सोसायटी के लिए उठाए गए दूध की आपूर्ति में लगी है। कटौती किसी भी मौद्रिक या अन्य सीमाओं के बिना स्वीकार्य है।

¹⁰ Conditions specified in clauses (xiii), (xiib) or (xiv) of section 47 would be discussed at Final level.

(3) कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा के लिए नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया भागिया [धारा 36 (1)(ib)] [Premia Paid by Employer for Health Insurance of Employees {Section 36 (1)(ib)}] : यह खंड किसी नियोक्ता को उसके द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम के सम्बन्ध में कटौती अनुमति देने के लिए नकदी के अलावा अन्य किसी भी तरीके से भुगतान की अनुमति देता है या उसके द्वारा बनाए गए एक योजना के अनुसार अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए

(i) भारत का जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित; या

(ii) कोई अन्य बीमाकर्ता और आईआरडीए द्वारा अनुमोदित।

(4) बोनस और कमीशन [धारा 36(1)(ii)] [Bonus and Commission {Section 36(1)(ii)}] : ये पूर्ण रूप से कर्मचारियों को दिए गए बोनस या कमीशन के रूप में मुआवजा या लाभांश के रूप में देय नहीं होंगे, यदि उन्हें भुगतान नहीं किया गया है बोनस या कमीशन

यह एक प्राइवेट कम्पनी या किसी कम्पनी के मुकाबले बोनस के माध्यम से या अपनी खुद की चिंता के कर्मचारियों को डिविडेंड या मुनाफे के रूप में वितरित करने के बजाय कर से बचने के लिए किसी कम्पनी के बचाव के लिए एक प्रावधान है।

(5) उधार की गई पूंजी का ब्याज [धारा 36(1)(iii)] [Interest on Borrowed Capital {Section 36(1)(iii)}] : "व्यवसाय के लाभ और लाभ के सिर" के तहत आय की गणना में व्यवसाय या पेशे के लिए उधार ली गई पूंजी के सम्बन्ध में ब्याज की कटौती की अनुमति है"।

पूंजीगत परिसंपत्ति को प्राप्त करने या व्यापार ऋण या हानि आदि का भुगतान करने के लिए पूंजी कई उद्देश्यों के लिए उधार ली जा सकती है। 'व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए' अभिव्यक्ति का दायरा बहुत व्यापक है। मौजूदा व्यापार के साथ-साथ मौजूदा व्यापार के विस्तार के लिए परिसंपत्तियां प्राप्त करने के लिए पूंजी को उधार लिया जा सकता है।

धारा 36 (1) (iii) के अनुसार, किसी भी अवधि के लिए नई परिसंपत्ति (चाहे खाते की पुस्तकों में पूंजीकृत हो या नहीं) के अधिग्रहण के लिए उधार ली गई पूंजी के सम्बन्ध में किसी भी ब्याज के भुगतान के सम्बन्ध में कटौती जिस तारीख को संपत्ति को अधिग्रहण के लिए उधार लिया गया था, जिस तारीख को ऐसी परिसंपत्ति का उपयोग पहली बार किया गया था, उसे अनुमति नहीं दी जाएगी।

खंड 43 (1) के लिए स्पष्टीकरण 8 स्पष्ट करता है कि परिसंपत्ति को पहली बार उपयोग करने के बाद किसी अवधि के लिए सापेक्ष ब्याज का पूंजीकरण नहीं किया जा सकता है। उधार लेने की तारीख से उस तारीख तक किसी भी अवधि के लिए उधार ली गई पूंजी के सम्बन्ध में ब्याज, जिस पर परिसंपत्ति का उपयोग पहली बार किया गया था, इसलिए, पूंजीकृत होना चाहिए।

नोट (Note) : वास्तविक व्यापार उधार के मामले में, विभाग इस आधार पर ब्याज के किसी भी हिस्से को अस्वीकार नहीं कर सकता है कि धारा 40A के तहत गिरने वाले मामलों को छोड़कर ब्याज दर अनुचित रूप से उच्च है।

- (6) जीरो कूपन बॉण्ड (जेसीसीबी) पर छूट [धारा 36 (1)(iii)] [Discount on Zero Coupon Bonds (ZCBs) {Section 36(1)(iii)}] : ZCBs पर छूट के लिए कटौती प्रदान करता है जो कि जीवन स्तर की अवधि के सम्बन्ध में समर्थक आधार पर है। निर्धारित तरीके से गणना की जाने वाली बॉण्ड की गणना।

शब्द	अर्थ
छूट	बॉण्ड के जारी होने और परिपक्वता या बॉण्ड के मोचन पर ऐसी कम्पनी या फंड या बैंक द्वारा देय राशि के आधार पर एक इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कम्पनी/इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड/पब्लिक सेक्टर कम्पनी/अनुसूचित बैंक द्वारा प्राप्त या प्राप्त होने वाली राशि का अंतर।
बंधन के जीवन की अवधि	बॉण्ड के जारी होने और परिपक्वता या मुक्ति की तारीख को समाप्त होने की तारीख से शुरू की गई अवधि।

- (7) प्रॉविडेंट फंड निधि और अन्य निधियों का योगदान [धारा 36(1)(iv) और (v)] [Contributions to Provident and Other Funds {Section 36 (1) (iv) and (v)}] : कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड और अन्य निधियों का योगदान निम्न स्थितियों के अधीन स्वीकार्य है :
- फंड को एक ट्रस्ट पर बसाया जाना चाहिए
 - योगदान राशि को आवधिक भुगतान होना चाहिए, न कि फंड शुरू करने के लिए भुगतान करना चाहिए।
 - फंड को कर्मचारियों के अनन्य लाभ के लिए होना चाहिए।
- (8) धारा 80CCD में निर्दिष्ट पेंशन योजना के तहत कर्मचारी के खाते में नियोक्ता का योगदान [धारा 36(1)(iva)] [Employer's Contribution to the Account of the Employee Under a Pension Scheme Referred to in Section 80CCD {Section 36(1) (iva)}]
- धारा 80 (1) (iva) को यह प्रदान करने के लिए कि कर्मचारी के खाते में नियोक्ता का अंशदान, धारा 80 CCD में निर्दिष्ट पेंशन योजना के तहत व्यावसायिक आय की गणना करते समय कटौती की अनुमति होगी।
 - हालांकि, कटौती पिछले वर्ष के कर्मचारी के 10% वेतन तक सीमित होगी।
 - वेतन, इस प्रयोजन के लिए, महंगाई भत्ता भी शामिल है, यदि रोजगार की शर्तें इस प्रकार उपलब्ध कराती हैं, लेकिन अन्य सभी भत्ते और लाभों को शामिल नहीं करती हैं।

उदाहरण (Illustration) 12

एक्स लिमिटेड धारा 80CCD में निर्दिष्ट एक पेंशन योजना के तहत प्रत्येक कर्मचारी के खाते में 20% मूल वेतन का योगदान करता है। महंगाई भत्ता मूल वेतन का 40% है और यह कर्मचारियों के वेतन का हिस्सा है। धारा 36 (1) (iva) के तहत स्वीकार्य कटौती की राशि का आकलन करें, यदि कर्मचारी का मूल वेतन ₹ 10 लाख तक है धारा 40A(9) के तहत अस्वीकार किया जाएगा, और यदि हां, तो किस हद तक ?

हल (Solution)

कटौती की गणना 36(1)(iv) और/40A(9) के तहत अस्वीकृति
 [Computation of Deduction u/s 36 (1) (iva) and Disallowance u/s 40A (9)]

विवरण	₹
मूल वेतन	10,00,000
महंगाई भत्ते 40% मूल वेतन का [डीए का हिस्सा]	4,00,000
धारा 36 (1) (iva) (मूल वेतन + डीए) के प्रयोजन के लिए वेतन	14,00,000
वास्तविक योगदान (मूल वेतन का 20% अर्थात्, ₹ 10 लाख का 20%)	2,00,000
घटाया : धारा 36 (1) (iva) के तहत अनुज्ञापूर्यक कटौती (मूल वेतन के 10% और महंगाई भत्ते = ₹ 1,40,0,000 का 10%) = ₹ 1,40,000	1,40,000
धारा 40A(9) के तहत अनुमोदित अतिरिक्त योगदान	60,000

- (9) निर्धारिती द्वारा अपने कल्याण निधि के प्रति अपने कर्मचारियों के अंशदान के रूप में प्राप्त राशि केवल तभी अनुमति दी जानी चाहिए, जब ऐसी रकम देय तिथि पर या उसके पहले जमा की जाती है (Amount received by assessee as contribution from his employees towards their welfare fund to be allowed only if such amount is credited on or before due date) : धारा 36 (1) के खंड (VA) और धारा 57(ia) के खंड (I) करदाताओं द्वारा प्राप्त किसी भी राशि के सम्बन्ध में इस तरह के कर्मचारियों के किसी भी कल्याणकारी फंड के लिए योगदान के रूप में कटौती की अनुमति दी जाएगी यदि ऐसी राशि करदाता द्वारा नियत तारीख या उससे पहले प्रासंगिक फंड में कर्मचारी के खाते में जमा की जाती है।

नियत तारीख	सेवा के अनुबंध की अवधि के दौरान या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत सम्बन्धित फंड में कर्मचारी के खाते में ऐसे योगदान को क्रेडिट करने के लिए एक नियोक्ता के रूप में निर्धारिती की आवश्यकता होती है।
-------------------	---

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अनुसार, किसी भी विशेष माह के लिए कर्मचारियों के वेतन के सम्बन्ध में विचाराधीन राशि, प्रत्येक माह के करीब 15 दिनों के भीतर दी जाएगी। 5 दिनों की अतिरिक्त अनुग्रह अवधि की अनुमति है।

- (10) जानवरों के लिए भत्ता [धारा 36(1)(vi)] [Allowance for Animals {Section 36 (1)(vi)}] : यह खंड पशुओं के सम्बन्ध में एक भत्ता प्रदान करता है जो मर चुके हैं या स्थायी रूप से बेकार हैं।

भत्ते की राशि जानवरों की वास्तविक लागत और पशुओं या स्वयं के शवों की बिक्री पर एहसास मूल्य के बीच अंतर है।

इस खंड के तहत भत्ता इस प्रकार निर्धारक को जानवरों के सम्बन्ध में पूरे पूंजीगत व्यय का पुनरुद्धार करेगा।

(11) बुरा ऋण [धारा 36 (1) (vii) और खंड 36 (2)] [Bad Debts {Section 36 (1) (vii) and Section 36 (2)}] : ये निम्नलिखित शर्तों के अधीन कटौती की जा सकती हैं :


- (a) उधारी या ऋण किसी व्यवसाय के सम्बन्ध में होना चाहिए जो सम्बन्धित पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा किया गया था।
- (b) पिछले वर्ष के निर्धारिती की आय की गणना करने में ऋण को ध्यान में रखा जाना चाहिए था, जिसमें इस तरह के कर्ज से पहले या पिछले वर्ष के पहले लिखा गया है या अपने व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में निर्धारिती द्वारा दिए गए धन प्रतिनिधित्व करना चाहिए बैंकिंग या धन उधार के।

I. अधिसूचित ICDSs¹¹ के आधार पर निर्धारिती की आय की गणना में पिछले वर्ष में कटौती के रूप में अनुमति देने के लिए ऋण की राशि, जिसमें कोई ऋण या उसका हिस्सा अपरिवर्तनीय हो सकता है [धारा 36 (1) (vii)]

- (i) धारा 36 (1) (vii) के तहत, पिछले वर्ष के निर्धारिती के खातों में अपरिवर्तनीय के रूप में लिखा गया कोई भी बुरा ऋण या उसके हिस्से के सम्बन्ध में कटौती की अनुमति है।
- (ii) इसलिए, खाते की पुस्तकों में धारा 36 (1) (vii) के तहत बुरा ऋण के दावे के लिए एक अनिवार्य शर्त है।
- (iii) अधिसूचित आईसीडीएस के आधार पर निर्धारिती की आय को कम्प्यूटरीकृत करने के मामले में पिछले वर्ष में कटौती के रूप में अनुमति दी गई है, जिसमें ऋण या उसका हिस्सा अपरिवर्तनीय हो सकता है

अगर एक ऋण, जो खाता मानकों की आवश्यकता के हिसाब से खाते की पुस्तकों में नहीं पहचाना गया है लेकिन सूचित आईसीडीएस के अनुसार आय की गणना में ध्यान में रखा गया है, यह अभी तक बेकार नहीं हो पाया है, इसे अभी भी बुरा माना जा सकता है धारा 36 (1) (vii) के तहत ऋण, क्योंकि यह माना जाएगा कि धारा 36 (1) (vii) को दूसरे नियम के आधार पर खाते की पुस्तकों में अपरिवर्तनीय के रूप में लिखा गया है। इसका कारण यह है कि कुछ आईसीडीएस को पहले के समय में आय की पहचान की आवश्यकता होती है (पूर्व में इस तरह की आय खाते की पुस्तकों में मान्यता प्राप्त है)। नतीजतन, यदि कर उद्देश्यों के लिए पहले के समय में मान्यता प्राप्त ऐसी आय का पूरा हिस्सा या अप्रत्याशित हो जाए, तो इसे धारा 36 (1) (vii) के दूसरे नियम के अनुसार खराब कर्ज के रूप में दावा किया जा सकता है।

¹¹ आय गणना प्रकटीकरण मानक (ICDSs) अन्तिम स्तर पर चर्चित होंगे।



- II. वसूली के वर्ष में खराब कर्ज के रूप में ऋण की अन्तर राशि का कटौती, वसूली में कमी की सीमा तक (Deduction of differential amount of debts due as bad debts in the year of recovery, to the extent of deficiency in recovery)

अगर अन्तिम निपटारे पर किसी भी ऋण के सम्बन्ध में वसूल की गई राशि, जहाँ कटौती की अनुमति पहले ही दे दी गई थी, ऋण की देनदारी और ऋण की अनुमति के बीच के अन्तर से कम हो जाती है, तो कमी का दावा किया जा सकता है कि उसकी आय की कटौती पिछले वर्ष कर्ज में अन्तिम वसूली की गई है आकलन अधिकारी के लिए किसी विशेष वर्ष के मूल्यांकन में उसके बाद किसी ऋणी या इसके किसी भी हिस्से के सम्बन्ध में कटौती की अनुमति है और बाद में उस राशि में शेष राशि, यदि कोई हो को अन्तिम वसूली करने के लिए अनुमति देने के लिए अनुमति है, यह कहना है, जब वसूली की प्रक्रिया का अंतिम परिणाम जाना जाता है।

बाद में एक बुरे ऋण की वसूली [धारा 41(4)] [Recovery of a bad debt Subsequently {Section 41 (4)}]—यदि एक धारा 36 के तहत एक बुरा ऋण के सम्बन्ध में कटौती की अनुमति दी गई है, और बाद में इस तरह के ऋण के सम्बन्ध में वसूल की गई राशि भत्ता के बाद की राशि से अधिक है बना दिया गया है, अतिरिक्त को व्यवसाय या पेशे के मुनाफे और लाभ माना जाएगा और पिछले वर्ष की आय के रूप में वह प्रभार्य होगा जिसमें यह वसूल किया जा सकता है, चाहे वह व्यवसाय या पेशा जिनके सम्बन्ध में कटौती की अनुमति दी गई हो उस समय अस्तित्व में है।

- (12) कम्पनी द्वारा परिवारिक नियोजन पर खर्च [धारा 36 (1) (ix)] [Expenses on family planning by a company {Section 36 (1) (ix)}] : किसी कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों के बीच परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के प्रयोजन के लिए किए गए राजस्व प्रकृति

बौद्धिकता के किसी भी व्यय को कम्पनी के व्यवसाय की गणना में कटौती के रूप में अनुमति दी जायगी आय :

- जहां, व्यय एक पूंजी प्रकृति का है, ऐसे व्यय का पांचवां हिस्सा पिछले वर्ष में घटाया जाएगा, जिसमें यह किया गया था और प्रत्येक में तुरंत पिछले वर्ष सफल होने के बाद से प्रत्येक में कटौती की जाएगी।
- यह कटौती केवल कंपनियों के लिए स्वीकार्य है और अन्य निर्धारिती के लिए नहीं है।
- निर्धारिती को आगे ले जाने और भत्ते के अनबॉस्ट भाग को बंद करने का हकदार होगा, जैसा कि अप्रभावी मूल्यहास के रूप में होगा।

परिवारिक नियोजन को बढ़ावा देने पर पूंजीगत व्यय का उपयोग उसी तरह किया जाएगा, जो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में माना जाएगा जो एकीकरण के हस्तांतरण सहित संपत्ति के बिक्री या हस्तांतरण पर लाभ या हानि से निपटने के प्रयोजनों के लिए है।

(13) प्रतिभूति लेनदेन कर का कटौती [धारा 36 (1) (xv)] [Deduction of securities transaction tax paid {Section 36 (1) (xv)}] : व्यापार के दौरान दर्ज कर योग्य प्रतिभूतियों के लेनदेन के सम्बन्ध में वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा प्रतिभूति लेनदेन कर की राशि की अनुमति दी जाएगी धारा 36 के तहत कटौती की शर्त है कि कर योग्य प्रतिभूतियों लेनदेन से ऐसी आय 'लाभ और व्यवसाय या पेशे के लाभ' के तहत शामिल है। इस प्रकार, प्रतिभूति लेनदेन कर को किसी अन्य व्यवसाय व्यय की तरह कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी।

(14) कर योग्य वस्तुओं के लेनदेन के सम्बन्ध में वस्तु लेनदेन कर की कटौती [धारा 36 (1) (एक्सवी)] [Deduction for Commodities transaction tax paid in respect to taxable Commodities transactions {Section 36 (1) (xvi)}]

- (a) वित्त अधिनियम, 2013 के वित्त अधिनियम, 2013 के अध्याय सातवीं के माध्यम से एक मान्यता प्राप्त संघ में दर्ज कर योग्य वस्तुओं के लेनदेन पर लगाए जाने वाले कमोडिटीज ट्रांजेक्शन कर (सीटीटी) नामक एक नया कर पेश किया है।
- (b) इस प्रयोजन के लिए, एक 'कर योग्य वस्तु लेनदेन' का अर्थ है वस्तुओं के सम्बन्ध में कमोडिटी डेरिवेटिव्स की बिक्री का एक लेनदेन, कृषि वस्तुओं के अलावा, मान्यता प्राप्त संघों में करोबार करना।
- (c) सीटीटी को कमोडिटी डेरिवेटिव की बिक्री पर 0.01% पर लगाया जाना है। सीटीटी को विक्रेता द्वारा भुगतान करना है।
- (d) एक "कमोडिटी डेरिवेटिव" का मतलब है (A Commodity derivative means) :
 - (1) वस्तु की डिलीवरी के लिए एक अनुबंध जो कि तैयार डिलीवरी अनुबंध नहीं हैं।
 - (2) मतभेदों के लिए एक अनुबंध जो मूल्यों या कीमतों के सूचकांक से उसका मूल्य प्राप्त करता है—
 - (i) ऐसे अंतर्निहित वस्तु का; या

- (ii) सम्बन्धित सेवाओं और अधिकारों का, जैसे कि भंडारण और भाड़ा या
- (iii) मौसम के संदर्भ में और इसी तरह की घटनाओं और गतिविधियों जो कि कमोडिटी सेक्टर पर असर डालते हैं।
- (e) नतीजतन, धारा 36 (1) के खंड (XV) में यह बताया गया है कि पिछले वर्ष के दौरान अपने व्यवसाय के दौरान दर्ज कर योग्य वस्तुओं के लेनदेन के सम्बन्ध में निर्धारिती द्वारा किए गए सीटीटी के बराबर राशि स्वीकार्य होगी कटौती, अगर ऐसी कर योग्य वस्तुओं के लेनदेन से उत्पन्न होने वाली आय "व्यवसाय और पेशे के मुनाफे और लाभ" के तहत गणना की गई आय में शामिल है।
- (xiii) अवशिष्ट व्यय [धारा 37] [Residuary Expenses {Section 37}]**
- (1) व्यापार, पेशे या व्यवसाय को चलाने के उद्देश्य के लिए किए गए राजस्व व्यय (Revenue expenditure incurred for purposes of carrying on the business profession or vocation)—यह एक अवशिष्ट भाग है, जिसके तहत केवल व्यापार व्यय स्वीकार्य है लेकिन व्यापारिक नुकसान नहीं, जैसे, गबन, चोरी परिसंपत्तियों का विनाश, कर्मचारियों द्वारा दुर्यवहार आदि। (ये व्यवसाय के लिए आकस्मिक हानि के रूप में धारा 29 के तहत स्वीकार्य हैं) कटौती केवल वास्तव में खर्च की गई राशि के लिए सीमित है और किसी दायित्व के खिलाफ बनाए गए आरक्षित को नहीं बढ़ाता है।**
- (2) भत्ता के लिए शर्तें (Conditions for allowance) :** निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए ताकि इस खंड के अंतर्गत व्यय का एक विशेष आइटम घटाया जा सके :
- व्ययों को धारा 30 से 36 में वर्णित प्रकृति का होना चाहिए।
 - यह लेखांकन वर्ष में निर्धारित द्वारा किया जाना चाहिए था।
 - यह निर्धारिती द्वारा किए गए व्यवसाय के सम्बन्ध में होना चाहिए, जिनके लाभ को गणना और मूल्यांकन किया जा रहा है।
 - व्यवसाय स्थापित होने के बाद यह होना चाहिए।
 - यह निर्धारिती के किसी भी व्यक्तिगत व्यय की प्रकृति में नहीं होना चाहिए।
 - इस तरह के व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से इसे बाहर रखा जाना चाहिए या खर्च करना चाहिए था।
 - यह पूंजीगत व्यय की प्रकृति में नहीं होना चाहिए।
 - खर्च किसी भी उद्देश्य के लिए निर्धारिती द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था जो एक अपराध है या कानून द्वारा निषिद्ध है।
- इस प्रकार यह खंड दायरे में सीमित है। यह एक निर्धारिती को सभी कटौती करने की अनुमति नहीं देता है जो एक विवेकपूर्ण व्यापारी अपने मुनाफे का पता लगाने में कर देगा। यह देखा जा सकता है कि अनुभाग में यह आवश्यक है कि व्यय पूरी तरह से और विशेष रूप से व्यवसाय के उद्देश्य के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे जरूरी इस तरह के प्रयोजन के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए था। इसलिए, व्यापार के प्रयोजन के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से खर्च किए गए खर्च, इस परिस्थिति में अनुमत अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन हैं, हालांकि परिव्यय अनावश्यक है।

- (3) **कीमेन बीमा पॉलिसी पर किए गए व्यय (Expenditure incurred on Keyman insurance policy)** : सीबीडीटी परिपत्र संख्या 762/1998 दिनांक 18.02.1998 स्पष्ट करता है कि कीमेन बीमा पॉलिसी पर दिए गए प्रीमियम को व्यापार व्यय के रूप में स्वीकार्य है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि, "कीमेन बीमा पॉलिसी को जब व्यापार की व्यवधान के विरुद्ध फर्म की रक्षा करने के लिए एक साथी के जीवन को सुरक्षित करने के लिए प्राप्त किया जाता है, साझेदारी व्यापार के लाभ के लिए समान रूप से होता है जो परिणामस्वरूप परिणाम हो सकता है एक साथी की समय से पहले मौत इस प्रकार, फर्म के साझेदार की प्रमुख बीमा पॉलिसी पर प्रीमियम पूरी तरह से और विशेष रूप से व्यापार के प्रयोजन के लिए है और व्यापार व्यय के रूप में स्वीकार्य है"।

सीबीडीटी ने उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को स्वीकार किया, तदनुसार, परिपत्र संख्या के अनुसार 38/2016 ने स्पष्ट किया है कि, किसी फर्म के मामले में, किसी भागीदार के प्रमुख बीमा पॉलिसी पर फर्म द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम, व्यापार की व्यवधान के खिलाफ फर्म की रक्षा के लिए, धारा 37 के तहत एक स्वीकार्य व्यय है।

- (4) **धारा 37(1) के लिए स्पष्टीकरण [Explanation 1 to section 37(1)]**— यह स्पष्टीकरण प्रदान करता है कि किसी भी उद्देश्य के लिए निर्धारित द्वारा किए गए किसी भी व्यय का कोई अपराध है या कानून द्वारा निषिद्ध है, उसे कटौती या भत्ता के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।

फार्मास्यूटिकल और सम्बन्ध स्वास्थ्य क्षेत्र के उद्योग द्वारा चिकित्सा व्यवसायी को उपलब्ध कराने के लिए किए गए खर्चों की अयोग्यता [परिपत्र सं। 5/2012 दिनांक 1-8-2012] धारा 37(1) व्यवसाय व्यय से किसी भी राजस्व व्यय (धारा 30 से 36 में तहत गिरने वालों के अलावा) की कटौती के लिए प्रदान करता है, अगर इस तरह के व्यय को व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य के लिए पूरी तरह से या विशेष रूप से खर्च किया गया हो। हालांकि, धारा 37 (1) के नीचे स्पष्टीकरण किसी भी ऐसे खर्च का दावा करने से इनकार करते हैं, यदि ऐसा किसी उद्देश्य के लिए किया गया है जो कानून के द्वारा अपराध या निषिद्ध है।

सीबीडीटी, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि चिकित्सा व्यवसायी को उपलब्ध कराने के लिए किए गए किसी भी व्यय का दावा भारतीय चिकित्सा परिषद् (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है, ने स्पष्ट किया है कि इतने व्यय किए गए व्यय अस्वीकार्य होंगे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 37(1) के तहत कानून द्वारा निषिद्ध व्यय इस तरह के फार्मास्यूटिकल या सम्बन्ध स्वास्थ्य क्षेत्र के उद्योग या अन्य निर्धारित के हाथों में अस्वीकार किया जाएगा जो उपर्युक्त फ्रीबीज प्रदान कर चुका है और इसे आय के खिलाफ अपने खातों में कटौती योग्य व्यय के रूप में दावा किया है।

इस परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उपर्युक्त व्यवसायी या व्यावसायिक संगठनों द्वारा आनंदित फ्रीबीज के मूल्य के बराबर राशि व्यापारिक आय या अन्य स्रोतों से आय के रूप में कर योग्य है, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक के तथ्यों के आधार पर।

(5) CSR व्यय का खंडन [धारा 37(1) के लिए स्पष्टीकरण 2] [Disallowance of CSR expenditure {Explanation 2 to Section 37(1)}]

- (i) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 को अनुसूची 7 के साथ और कंपनियों (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) नियम, 2014, नई कम्पनी कानून व्यवस्था के तहत विशेष प्रावधान हैं जो अनिवार्य सीएसआर दायित्वों को लागू कर रहे हैं।

धारा 135 के तहत अनिवार्य सीएसआर दायित्व (Mandatory CSR obligation under section 135) :

- प्रत्येक कम्पनी सूचीबद्ध या असूचीबद्ध, निजी या सार्वजनिक, जिसमें—
 - निवल मूल्य ₹ 500 करोड़ या अधिक [नेट वर्थ मानदंड]; या
 - ₹ 1,000 करोड़ या अधिक का कारोबार [टर्नओवर मानदंड] या
 - ₹ 5 करोड़ या अधिक का शुद्ध लाभ [नेट प्रॉफिट कसौटी]
- बोर्ड से सीएसआर समिति का गठन करने के लिए किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान,
- सीएसआर समिति को सीएसआर नीति तैयार करना है और उसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित करना होगा,
- सीएसआर नीति के अनुसार सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए इस तरह की कम्पनी,
- कम्पनी अधिनियम, 2013 के लिए अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट सीएसआर गतिविधियों पर तत्काल तीन पूर्ववर्ती वर्षों में किए गए अपने औसत शुद्ध मुनाफे के कम से कम 2% हर वित्तीय वर्ष में खर्च करने वाली इस तरह की कम्पनी ।

- (ii) कंपनियों के नियम 4 (सीएसआर) नियम, 2014 के अनुसार, धारा 135 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित व्यय को सीएसआर गतिविधि के रूप में नहीं माना जाता है :
- सामान्य क्रम के अनुसरण में किए गए कार्यों पर व्यय,
 - व्यापार,
 - भारत के बाहर किए गए सीएसआर गतिविधियों पर व्यय,
 - व्यय जो विशेष रूप से कर्मचारियों के लाभ के लिए है कम्पनी या उनके परिवारों तथा
 - राजनीति दलों के लिए योगदान
- (iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 37 (1) के तहत, केवल व्यय, जो कि धारा 30 से 36 के तहत शामिल नहीं हैं, और व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से खर्च किए गए हैं, कर योग्य व्यवसाय आय। विचाराधीन मुद्दा यह है कि सीएसआर व्यय धारा 37 के तहत कटौती के रूप में स्वीकार्य है।

- (iv) अब यह स्पष्ट किया गया है कि धारा 37 (1) प्रयोजनों के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में उल्लिखित कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व से सम्बन्धित गतिविधियों पर निर्धारिती द्वारा किए गए किसी व्यय को नहीं माना जाएगा व्यापार के उद्देश्य के लिए किया गया है और इसलिए, धारा 37 के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी।
- (v) अस्वीकृति के पीछे तर्क यह है कि सीएसआर व्यय, आय के आवेदन के रूप में, व्यापार को चलाने के उद्देश्यों के लिए पूरी तरह और विशेष रूप से खर्च नहीं किया जाता है।
- (vi) हालांकि, वित्त (नं. 2) बिल, 2014 के स्पष्टीकरण सम्बन्धी ज्ञापन में स्पष्ट है कि सीएसआर व्यय, जो कि धारा 30 से 36 में वर्णित प्रकृति की है, शर्तों के पूरा होने के अधीन उन वर्गों के तहत कटौती की अनुमति दी जाएगी, यदि कोई है, तो उसमें निर्दिष्ट
- (6) राजनीति दलों के स्मृति चिह्नों में विज्ञापन (Advertisement in souvenirs of political parties) : धारा 37 (2 बी) विज्ञापन व्यय के कारण किसी भी कटौती की अनुमति नहीं देता है जो व्यापार या पेशे के लाभ और लाभ की गणना करने में व्यवसाय या पेशे में आने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए योगदान का प्रतिनिधित्व करता है। यह विशेष रूप से प्रदान किया गया है कि खंड 37 (1) में निहित उल्लिखित किसी भी बात के बावजूद अस्वीकृत के लिए यह प्रावधान लागू होगा।
- दूसरे शब्दों में, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए योगदान देने वाले व्यय उन मामले में भी अस्वीकृत हो सकते हैं, जहाँ व्यय अन्यथा उनके चरित्र में निर्धारिती द्वारा किए गए हैं और व्यापार के उद्देश्य के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से खर्च किया जाता है।
- तदनुसार, एक करदाता किसी भी स्वेनिर, ब्रोशर, पथ या किसी भी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित की गई विज्ञापन में उनके द्वारा किए गए खर्चों के सम्बन्ध में किसी भी कटौती के हकदार नहीं होंगे, चाहे वह भारत के चुनाव आयोग में पंजीकृत हों या नहीं।

3.7 अस्वीकृत कटौती [धारा 40] [Inadmissible Deductions (Section 40)]

निर्धारकों को अलग-अलग समूहों में विभाजित करके, इस खंड में निश्चित खर्चों की कटौती पर निरन्तर संयम रहता है :

किसी भी निर्धारिती के मामले में, निम्नलिखित खर्च छूट नहीं है :

(1) धारा 40(a) [Section 40(a)]

कोई भी ब्याज (1 अप्रैल, 1938 के पहले दिन से पहले सार्वजनिक सदस्यता के लिए जारी की किए गए ऋण पर ब्याज नहीं है), रॉयल्टी, तकनीकी सेवाओं के लिए तकनीकी सेवाओं के लिए फीस या इस अधिनियम के तहत अन्य योग्य राशि जो देय है,

(a) भारत के बाहर

(b) भारत में एक अनिवासी के लिए,

एक कम्पनी या एक विदेशी कम्पनी नहीं होने के नाते, जिस पर कर अध्याय XVIIIB के तहत स्रोत पर घटाया जाता है और इस तरह के कर काट नहीं किया गया है या कटौती

के बाद, धारा 139 (1) के तहत निर्दिष्ट वापसी दाखिल करने की नियत तारीख को या उससे पहले भुगतान नहीं किया गया है।

यह भी प्रदान किया जाता है कि जहाँ किसी भी ऐसे राशि के सम्बन्ध में, जहाँ किसी भी बाद के वर्ष में कर काट लिया गया है, या पिछले वर्ष में कटौती की गई है, लेकिन धारा 139 (1) के तहत रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख के बाद भुगतान किया गया है, ऐसी राशि पिछले वर्ष की आय की गणना करने में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी जिसमें इस तरह के कर भुगतान किया गया है।

यदि निर्धारिती ऐसे किसी भी योग पर कर के पूरे या किसी भी हिस्से को काटने में विफल रहता है लेकिन इस तरह के भुगतानकर्ता को पहले अंतिम धारा 201(1) के तहत चूक रूप में निर्धारिती नहीं माना जाता है—

- (i) धारा 139 के तहत अपनी आय की वापसी की सुविधा प्रदान की है;
- (ii) इस तरह के रिटर्न में आय की गणना के लिए इस तरह के खाते में लिया गया है तथा
- (iii) आय की ऐसी वापसी में उसके द्वारा घोषित आय के कारण कर का भुगतान किया है और भुगतानकर्ता इस तरह के रूप में निर्धारित किया जा सकता है, एक एकाउंटेंट इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है,

यह माना जाएगा कि निर्धारिती ने कटौती की है और उस तिथि पर कर का भुगतान किया है, जिस पर भुगतानकर्ता द्वारा आय की वापसी प्रस्तुत की गई है।

चूंकि भुगतानकर्ता द्वारा आय की वापसी प्रस्तुत करने की तिथि उस तिथि को की जाती है जिस पर भुगतानकर्ता ने स्रोत पर कर काट लिया है और उसी का भुगतान किया है, ऐसे भुगतान जिसके संबंध में भुगतानकर्ता स्रोत पर कर कटौती करने में विफल रहा है, धारा 40(a)(i) के तहत अस्वीकृत किया जाता है जिसमें उक्त व्यय किया जाता है।

हालांकि, इस तरह के व्यय को बाद के वर्ष में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी जिससे आय का रिटर्न भुगतानकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि कर को घटाया गया है और भुगतानकर्ता द्वारा उस वर्ष में भुगतान किया गया है।

(2) धारा 40 (a)(ia) [Section 40(a)(ia)]

धारा 40 (a) (ia) ने निवासी को देय किसी भी राशि का 30% प्रदान किया है, जिस पर अध्याय XVII-B के तहत स्रोत पर कर घटाया जा सकता है, यदि अनुमति नहीं है—

- (i) ऐसे कर काटे नहीं गए हैं; या
- (ii) कटौती के बाद ऐसा कर, धारा 139 (1) में निर्दिष्ट नियत तारीख या उससे पहले भुगतान नहीं किया गया है।

यदि ऐसी राशि के सम्बन्ध में, किसी भी बाद के वर्ष में कर काट लिया गया है या पिछले वर्ष के दौरान कटौती की गई है लेकिन धारा 139 (1) में निर्दिष्ट तारीख के बाद भुगतान किया गया है, तो इस तरह की 30% राशि को कम्प्यूटिंग में कटौती की अनुमति दी जाएगी पिछले वर्ष की आय में ऐसी कर का भुगतान किया गया है।

उदाहरण के लिए, पिछले वर्ष 2019-20 में श्री ए, एक निवासी को भुगतान किया गया रॉयल्टी पर कर का भुगतान किया गया है, जैसा कि मामला 31 जुलाई/ 30 सितंबर, 2020 तक किया जाना चाहिए। अन्यथा, रॉयल्टी का 30% भुगतान A.Y. यदि ऐसी रॉयल्टी के सम्बन्ध में, (d) P.Y. 2019-20 के दौरान कटौती की गई 31 जुलाई/30 सितंबर, 2020 के बाद का भुगतान किया गया है, तो 30% रॉयल्टी को भुगतान के वर्ष में कटौती की अनुमति होगी।

नोट (Note) : इस दृष्टांत को हल करने से पहले विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि अध्याय 9 को "स्रोत पर कर में कटौती, स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर कर संग्रह" पर अध्याय 9 को पढ़ा जाए।

उदाहरण (Illustration) 13

डेल्टा लिमिटेड ने स्रोत पर कर की कटौती के बिना मार्च 2020 के महीने में निवासी भुगतानकर्ताओं के खाते में निम्नलिखित राशि का श्रेय दिया। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान इन राशियों पर डेल्टा लिमिटेड द्वारा स्रोत पर कर के गैर-कटौती का क्या नतीजा होगा, यह मानते हुए कि नीचे दिए गए सभी मामलों में निवासी भुगतानकर्ता ने कर का भुगतान नहीं किया है, यदि कोई है, जो डेल्टा लिमिटेड द्वारा कटौती की आवश्यकता थी?

विवरण	राशि (₹)
(1) अपने कर्मचारियों को वेतन (मार्च 2020 में जमा और भुगतान किया गया)	12,00,000
(2) निदेशकों का पारिश्रमिक (मार्च, 2020 में जमा हुआ और अप्रैल, 2020 में भुगतान किया गया)	28,000

क्या आपके उत्तर में परिवर्तन अगर डेल्टा लिमिटेड ने भुगतान के समय अप्रैल 2019 में निदेशकों के पारिश्रमिक पर कर कटौती की है और जुलाई 2020 में इसे प्रेषित किया है?

हल (Solution)

निवासी को देय किसी भी राशि के स्रोत पर कर की कटौती न करने पर अध्याय XVII-B के प्रावधानों के अनुसार धारा 40 (a)(ia) के तहत अस्वीकृति को आकर्षित करने के लिए कर को घटाया जा सकता है।

इसलिए, धारा 192 के तहत कर के कटौती के आधार पर किसी भी तरह के भुगतान के स्रोत पर कर की कटौती नहीं कि जा सकती है या धारा 194 जे के तहत करों को घटाया जाने पर निर्देशकों के पारिश्रमिक के माध्यम से जमा या भुगतान की गई कोई भी राशि 30% धारा 40(a)(ia) के तहत। जबकि वेतन के मामले में, भुगतान के समय धारा 192 के तहत कर का कटौती करना पड़ता है, निर्देशकों के पारिश्रमिक के मामले में, उस राशि को प्राप्तकर्ता के खाते में या समय पर जमा करने के समय कर काटा जा सकता है भुगतान का, जो भी पहले हो इसलिए, दानों मामलों में, वेतन और निदेशकों के पारिश्रमिक, कर की कटौती P.Y. में होती है। 2019-20 वेतन उस वर्ष में भुगतान किया गया था और निर्देशकों के पारिश्रमिक उस वर्ष में श्रेय दिया गया था। इसलिए, A.Y. के लिए व्यावसायिक आय की गणना करते समय धारा 40(a)(ia) के तहत अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। A.Y. 2020-21 के लिये अग्रानुसार है—

विवरण	भुगतान राशि	40 (a)(ia) के तहत 30% की अस्वीकृति
वेतन [धारा 192 के तहत छूट घटाई गई हैं]	12,00,000	3,60,000
निदेशकों का पारिश्रमिक [कर सीमा शुल्क के बिना धारा 194J के तहत घटाया जाता है।]	28,000	8,400
धारा 40 (a)(ia) के तहत अस्वीकृति		3,68,400

अगर कर अगले वर्ष में निर्देशकों के पारिश्रमिक पर काट लिया जाता है यानी, P.Y. भुगतान के समय 2020-21 और सरकार को प्रेषित, A.Y. 2021-22 की व्यावसायिक आय की गणना करते समय ₹ 8,400 की राशि को कटौती की अनुमति दी जाएगी।

धारा 201 (1) बताता है कि भुगतानकर्ता (कम्पनी के प्रिंसिपल ऑफिसर समेत) जो निवासी भुगतानकर्ता को जमा राशि या भुगतान के पूरे या किसी भी हिस्से को घटाकर विफल रहता है, उसे एक निर्धारिती-इन-डिफॉल्ट माना नहीं जाएगा ऐसे कर के सम्बन्ध में यदि ऐसे निवासी आदाता-

- (i) ने धारा 139 के तहत आय की वापसी वापस की है;
- (ii) ने इस तरह की आय की वापसी में आय की गणना करने के लिए इस तरह के योग को ध्यान में रखा है; तथा
- (iii) आय के इस तरह के रिटर्न में उनके द्वारा घोषित आय के कारण कर का भुगतान किया है, और दाता इस तरह के एक अकाउंटेंट से इस तरह के प्रमाण पत्र को निर्धारित किया जा सकता है।

देनदार द्वारा करों का कटौती और भुगतान की तारीख को उस दिन माना जाएगा जिस पर आय की वापसी निवासी भुगतानकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई है।

नतीजतन, ऐसे मामलों में जहां कर काट करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति निवासी भुगतानकर्ता द्वारा कर के भुगतान के कारण निर्धारिती-इन-डिफॉल्ट नहीं माना जाता है, यह समझा जाएगा कि दाता ने कटौती की और इस तरह के राशि पर कर का भुगतान किया है निवासी आदाता द्वारा आय की वापसी की तारीख प्रस्तुत करने की तिथि।

निवासी भुगतानकर्ता द्वारा आय की वापसी को प्रस्तुत करने की तारीख से उस तारीख तक ले लिया जाता है जब भुगतानकर्ता ने स्रोत पर कर काट लिया है और उसी का भुगतान किया है, ऐसे 30% व्यय/भुगतान जिसके बारे में दाता घटाया गया है स्रोत पर कर उस वर्ष में धारा 40(a)(ia) के तहत अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें कहाँ व्यय किया गया है। हालांकि, इस तरह के 30% व्यय को बाद के वर्ष में कटौती की अनुमति दी जाएगी जिसमें आय की वापसी निवासी भुगतानकर्ता द्वारा दी जाती है, क्योंकि कर उस वर्ष में दाता द्वारा कटौती और भुगतान करने के लिए समझा जाता है।

धारा 40 (a)(ia) [परिपत्र सं. 10/2013, दिनांक 16.12.2013] के तहत कर के कटौती के बिना पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी निवासी को भुगतान की गई किसी भी राशि अस्वीकार।

धारा 40(a)(ia) के प्रावधानों के प्रयोजन के बारे में न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा परस्पर विरोधी व्याख्याएं हुई हैं, जो 'मुनाफा और कारोबार या पेशे के लाभ' के तहत आय प्रभार्य की गणना करने में छूट नहीं की गई राशि के सम्बन्ध में है। कुछ अदालती फैसलों ने यह धारण किया है कि धारा 40(a)(ia) के तहत अस्वीकृति के प्रावधान केवल उस वित्तीय वर्ष के अंत में देय राशि के लिए लागू होते हैं और उस राशि को अस्वीकार करने का अनुरोध नहीं किया जाता है जो वास्तव में भुगतान किया गया था पिछले साल स्रोत पर कर की कटौती के बिना

विभागीय दृश्य : सीबीडीटी के विचार यह है कि धारा 40(a)(ia) के प्रावधानों में न केवल उन राशियों को कवर किया जाएगा जो पिछले वर्ष के 31 मार्च को देय हैं, लेकिन वर्ष के दौरान किसी भी समय देय राशि भी दी जाएगी। सांविधिक प्रावधान स्पष्ट रूप से स्पष्ट हैं और धारा 40(a)(ia) के संदर्भ में, "देय" शब्द में "पिछले वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि" शामिल होगी। परिपत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि जहां उच्च न्यायालय उपर्युक्त "विभागीय दृश्य" के विपरीत कोई मुद्दा तय करता है, "विभागीय दृश्य" प्रासंगिक उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में गिरने वाले क्षेत्र में कार्य नहीं करेगा।

उदाहरण (Illustration) 14

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, निवासी व्यक्ति श्री युवान राजा द्वारा निम्नलिखित भुगतान/व्यय किए गए/ किए गए थे (जिसका कारोबार 31.3.2019 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹99 लाख था) :

- स्रोत पर कर की कटौती के बिना ₹ 45,000 रहमान एंड कं.। एक निवासी भागीदारी फर्म को ब्याज का भुगतान किया गया;
- स्रोत पर कर की कटौती के बिना ₹ 3,00,000 एक निवासी व्यक्ति को वेतन के रूप में दिया गया था;
- स्रोत पर कर की कटौती के बिना ₹ 16,000 श्री विद्यासागर को दलाली के रूप में दिया गया था।

संक्षेप में चर्चा करें कि आयकर अधिनियम, 1961 के धारा 40(a)(ia) के प्रावधानों के तहत कोई भी अस्वीकृति उत्पन्न होती है या नहीं।

हल (Solution)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40(a)(ia) के तहत अस्वीकृति को आकर्षित किया जाता है जहां निर्धारित अधिनियम के तहत जरूरी स्रोत पर कर कटौती करने में विफल रहता है, या स्रोत पर कर कटौती के साथ, यह उसी को प्रेषित करने में विफल रहता है निर्धारित समय सीमा के भीतर केंद्र सरकार का श्रेय

- एक व्यक्ति के मामले में धारा 194A के तहत एक निवासी को दी गई ब्याज से स्रोत पर कर काटा जाने का दायित्व है, जिसका पिछले वर्ष तत्काल पहले का कारोबार, यानी, P.Y. 2018-19 से ₹ 100 से अधिक है इस प्रकार, वर्तमान मामले में, निर्धारित का कारोबार ₹ 100 लाख से कम है, इसलिए वह स्रोत पर कर कटौती करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसलिए, धारा 40(a)(ia) के तहत इस मामले में अस्वीकार नहीं किया गया है।
- धारा 40(a)(ia) के तहत देय रकम के 30% की अस्वीकृति अध्याय XVII-B के तहत करों को घटाकर सभी रकम के सम्बन्ध में आकर्षित हो जाएगी। धारा 192 जिसे वेतन भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती की आवश्यकता है, अध्याय XVII-B के तहत कवर किया

गया है। धारा 192 के तहत स्रोत पर कर कटौती करने का दायित्व उत्पन्न होता है, सभी निर्धारिती-नियोक्ता के हाथ में, अगर करोबार की राशि पिछले वर्ष के तत्काल पिछले वर्ष में ₹ 100 लाख से अधिक न हो तो भी।

इसलिए, वर्तमान मामले में, धारा 40(a)(ia) के तहत अस्वीकृति धारा 192 के तहत वेतन भुगतान से स्रोत पर कर कटौती करने में विफल रहा है। हालांकि, स्रोत पर कर की कटौती के बिना भुगतान की गई राशि की केवल 30% को अनुमति नहीं दी जाएगी।

- (iii) धारा 194 एच के तहत किसी व्यक्ति के लिए ₹ 15,000 से अधिक की कमीशन के माध्यम से स्रोत पर कर कटौती करने का दायित्व एक व्यक्ति के मामले में उठता है, जिसका पिछले वर्ष के तत्काल पहले का करोबार, अर्थात P.Y. 2018-19 ₹ 100 लाख से अधिक है इस प्रकार, वर्तमान मामले में, निर्धारिती का कारोबार ₹ 100 लाख से कम है, इसलिए वह स्रोत पर कर कटौती करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। श्री राजा को 194H धारा के तहत स्रोत पर कर कटौती की आवश्यकता नहीं है साथ ही चूंकि उस कमीशन का योग श्री विद्यासागर के लिए गत वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 50 लाख से अधिक नहीं है। इसलिए, धारा 40(a)(ia) के तहत इस मामले में अस्वीकार नहीं किया गया है।

(3) धारा 40 (a) (ii) [Section 40 (a) (ii)]

किसी भी व्यवसाय या पेशे के मुनाफे और लाभ के अनुपात में या उसके आधार पर कर या उपकर के मुकाबले किसी भी राशि का भुगतान।

(4) धारा 40 (a)(iib) [Section 40(a)(iib)]

- (i) रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क, सेवा शुल्क, विशेषाधिकार शुल्क, सेवा शुल्क आदि के माध्यम से भुगतान की जाने वाली कोई भी राशि, जो कि विशेष रूप से लगाई जाती है, या
- (ii) राज्य सरकार (एसजी) द्वारा राज्य सरकार के उपक्रम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विनियोजित कोई भी राशि,

राज्य सरकार के उपक्रम में शामिल हैं—

- (a) राज्य सरकार के किसी भी कानून द्वारा या उनके तहत स्थापित निगम;
- (b) एक कम्पनी जिसमें पेड अप इक्विटी शेयर पूंजी का 50% से अधिक राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है;
- (c) एक कम्पनी जिसमें पेड अप इक्विटी शेयर पूंजी का 50% से अधिक एकल या संयुक्त रूप से (a) या (b) द्वारा आयोजित किया जाता है;
- (d) एक कम्पनी या निगम जिसमें राज्य सरकार को अधिकतर निदेशकों की नियुक्त करने या प्रबंधन या नीति के निर्णय को नियंत्रित करने का अधिकार है।
- (e) राज्य सरकार के किसी भी कानून द्वारा या राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित किए गए एक प्राधिकरण, एक बोर्ड या संस्था या एक संगठन का गठन किया।

(5) धारा 40(a)(iii) [Section 40(a)(iii)]

किसी भी राशि को 'वेतन' के अधीन प्रभाय है, यदि वह भारत या गैर-निवासी के बाहर देय है और अगर उस पर कर का भुगतान नहीं किया गया है और अध्याय XVII-B के तहत वहां से कटौती नहीं की गई है।

(6) धारा 40(a)(iv) [Section 40(a)(iv)]

निर्धारित के कर्मचारियों के लाभ के लिए स्थापित एक भविष्य निधि या फंड में कोई भी योगदान, जब तक निर्धारित ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था नहीं की है कि कर को किसी भी भुगतान से स्रोत में कटौती की जाएगी, जो कि फंड के तहत कर के लिए प्रभाय है सिर 'वेतन' में

(7) धारा 40 (a)(v) [Section 40 (a)(v)]

कर्मचारियों की ओर से लाभों पर भुगतान कर छूट नहीं है (Tax paid on perquisites on behalf of employees is not deductible) : किसी कर्मचारी के मामले में, लाभों की प्रकृति (मौद्रिक भुगतानों के अलावा) से उत्पन्न आय, उसके नियोक्ता द्वारा प्रदत्त ऐसी आय पर कर की रकम हाथों से कर से मुक्त है उस कर्मचारी का

इसी प्रकार, ऐसे भुगतान की नियोक्ता की आय से कटौती की अनुमति नहीं है। इस प्रकार, कर्मचारी की ओर से नियोक्ता द्वारा लाभों पर कर का भुगतान कर्मचारी के हाथ में कर से मुक्त होगा, लेकिन नियोक्ता के हाथों में कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं होगा।

किसी भी फर्म के मामले में ऐसे या सीमित देयता भागीदारी (LLP) के रूप में निर्धारित किसी भी फर्म/LLP [धारा 40 (b)] के व्यवसाय से आय की गणना में कटौती नहीं की जाएगी।

धारा 40(b) [Section 40(b)]

- (1) गैर कार्यरत साझेदार के लिए पारिश्रमिक :** किसी भी साथी, जो एक काम कर रहे साथी नहीं है, जिसे किसी भी नाम से बुलाया गया वेतन, बोनस, कमीशन, पारिश्रमिक। (निम्नलिखित चर्चा में, वेतन, बोनस, कमीशन की प्रकृति में भुगतान को निरूपित करने के लिए शब्द 'पारिश्रमिक' लागू किया गया है);
- (2) कार्यशील साझेदार के लिए विलेख द्वारा अस्वीकृत पारिश्रमिक :** किसी भी भागीदार को काम करने वाले या ब्याज को भुगतान किया गया कोई भी पारिश्रमिक जो कि अधिकृत नहीं है या साझेदारी विलेख की शर्तों से असंगत है—
- (3) विलेख द्वारा स्वीकृत अधिकृत साझेदार के लिए पारिश्रमिक और ब्याज लेकिन पूर्व अवधि से सम्बन्धित :** यह सम्भव है कि वर्तमान साझेदारी का काम किसी भागीदार के लिए किसी भी भागीदार को या किसी ब्याज को पारिश्रमिक के भुगतान की अवधि के लिए प्राधिकृत कर सकता है जो वर्तमान भागीदारी विलेख की तारीख से पहले है। वर्तमान साझेदारी के काम का अनुमोदन इस तथ्य के कारण जरूरी हो सकता है कि इस तरह के भुगतान को पहले साझेदारी सौदा से अधिकृत नहीं किया गया था या असंगत नहीं था। पारिश्रमिक या ब्याज का भुगतान भी अस्वीकृत होगा। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मौजूदा साझेदारी का काम किसी भी भुगतान को अधिकृत नहीं कर सकता है जो पूर्व साझेदारी विलेख की तारीख से पहले की अवधि से सम्बन्धित है।

इसके बाद, धारा 40(b) के उपखण्ड (iii) में निहित एक और प्रतिबन्ध के आधार पर, काम करने वाले भागीदारों को भुगतान किए गए ऐसे पारिश्रमिक को ऐसे साझेदारी विलेख की तारीख से फर्म को कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी और किसी भी अवधि के लिए नहीं इससे पहले नतीजतन, यदि, उदाहरण के लिए, एक फर्म में काम करने वाले भागीदारों को पारिश्रमिक के भुगतान से सम्बन्धित क्लॉज शामिल है, कहते हैं, 1 जुलाई को, लेकिन 1 अप्रैल से प्रभावी, फर्म को पारिश्रमिक के लिए कटौती मिलेगी 1 जुलाई से और उसके बाद के कामकाजी भागीदारों को, लेकिन 1 अप्रैल से 30 जून तक की अवधि के लिए नहीं। दूसरे शब्दों में, मौखिक करारों को पूर्वव्यापी प्रभाव देने में सम्भव नहीं होगा, जो इस तरह के पारिश्रमिक के समान है एक लिखित भागीदारी विलेख

- (4) **12% से अधिक में साझेदार के लिए ब्याज** : किसी भी ब्याज का भुगतान ऐसे साझेदारी की तिथि के बाद साझेदारी में किया जाता है, इस तरह की ब्याज 12% से अधिक ब्याज पीएसी से अधिक है।
- (5) **निर्दिष्ट सीमा से अधिक में कार्यशील साझेदार के लिए पारिश्रमिक** : किसी पार्टनर को भुगतान किया गया कोई भी पारिश्रमिक, साझेदारी विलेख द्वारा अधिकृत और निम्न सीमा से अधिक की कार्यवाही की तिथि के बाद गिरता हुआ :

पुस्तक लाभ	कटौती के क्वांटम
पहले ₹ 3 लाख पुस्तक लाभ या हानि के मामले में	₹ 1,50,000 या 90% पुस्तक लाभ, जो भी अधिक हो
पुस्तक के लाभ की शेष राशि पर	किताब के मुनाफे का 60%

- (6) **कुछ शब्दावलियों का अर्थ (Meaning of certain terms)** :

शर्त	अर्थ
खाता लाभ	मुनाफे तथा लाभ से आय गणना के प्रावधान के अनुसार अनिवार्य पूर्व वर्ष के मुनाफे तथा नुकसान विवरण में दिखाया गया शुद्ध लाभ [धारा 40 (b) का स्पष्टीकरण 3] उपर्युक्त राशि फर्म के सहभागियों को किये जाने या किये गए वेतन से बढ़ाई जाएगी यदि वह शुद्ध लाभ की गणना के समय काटी गई थी।
सक्रिय भागीदार	वह व्यक्ति जो व्यापार या फर्म के पेशे में जिसमें वह सहभागी है उसके कार्य में सक्रिय रूप से संलग्न है। [धारा 40(b) का स्पष्टीकरण 4]

उदाहरण (Illustration) 15

एक फर्म ने साझेदारी के काम के अनुसार, P.Y. 2019-20 के लिए अपने सहयोगियों को वेतन के रूप में ₹ 7,50,000 का भुगतान किया है, और इसमें ₹ 10 लाख का एक किताब लाभ हैं। पारिश्रमिक क्या कटौती के रूप में स्वीकार्य है?

हल (Solution)

धारा 40(b)(v) में निर्दिष्ट सीमाओं के अनुसार गणना की जाने योग्य स्वीकार्यता –

विवरण	₹
प्रथम ₹ 3 लाख पुस्तक लाभ [₹ 3,00,000 × 90%] पर	2,70,000
शेष सात लाख पुस्तक लाभ पर [₹ 7,00,000 × 60%]	4,20,000
	6,90,000

धारा 40(b)(v) के अनुसार ₹ 60,000 (यानी, ₹ 7,50,000 – ₹ 6,90,000) की अतिरिक्त राशि को अनुमति नहीं दी जाएगी।

(7) धारा 40 (b) के स्पष्टीकरण [Explanations to section 40(b)]

- (1) जहाँ एक व्यक्ति एक प्रतिनिधि क्षमता में फर्म में भागीदार है:
 - (i) किसी व्यक्ति को फर्म द्वारा भुगतान की गई ब्याज, अन्यथा के अलावा किसी प्रतिनिधि क्षमता में साझेदार के रूप में इस खंड के प्रयोजनों के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा।
 - (ii) फर्म द्वारा भुगतान की गई ब्याज, उस प्रतिनिधि को एक प्रतिनिधि क्षमता में भागीदार और फर्म द्वारा भुगतान किए गए ब्याज के रूप में व्यक्ति द्वारा प्रदत्त ब्याज, इस धारा के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा जाएगा [धारा 40(b)] के स्पष्टीकरण 1]
- (2) जहां एक व्यक्ति एक प्रतिनिधि क्षमता से अन्यथा एक फर्म में भागीदार है, फर्म द्वारा दिए गए ब्याज को ध्यान में नहीं रखा जाएगा यदि वह किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से या किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए तो [स्पष्टीकरण 2 से धारा 40 (b)]

उदाहरण (Illustration) 16

राव और जैन, एक साझेदार फर्म जिसमें दो सहयोगी शामिल हैं, का शुद्ध लाभ है निम्नलिखित मदों की कटौती से पहले ₹ 7,00,000 :

- (1) फर्म के दो कार्यकर्ता भागीदारों को देय ₹ 20,000 प्रत्येक महीने का वेतन (जैसा साझेदारी के काम से अधिकृत है)
- (2) धारा 32 के तहत (संगणित) ₹ 1,50,000 संयंत्र और मशीनरी के मूल्यह्रास
- (3) पूंजी पर ब्याज 15% प्रति वर्ष (साझेदारी के काम के अनुसार) ₹ 5,00,000 ब्याज के लिए पात्र पूंजी की राशि

गणना करें :

- (i) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40(b) के तहत फर्म का बुक-प्रॉफिट।
- (ii) धारा 40(b) के अनुसार आकलन वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकार्य कार्य भागीदार वेतन।

हल (Solution)

- (i) स्पष्टीकरण 3 धारा 40(b) के अनुसार, "बुक प्रॉफिट" का मतलब अध्याय IV-D में निर्धारित तरीके से गणना किए गए प्रासंगिक वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते के मुकाबले शुद्ध लाभ होगा। फर्म साझेदारी का भुगतान या देय पारिश्रमिक की कुल राशि यदि शुद्ध लाभ की गणना करते समय पहले से ही कटौती की गई है।

वर्तमान मामले में, मुनाफे में शुद्ध लाभ संयंत्र और मशीनरी पर मूल्यहास कटौती, भागीदारों की राजधानी पर ब्याज और काम करने वाले भागीदारों को वेतन से पहले है। इसलिए, पुस्तक लाभ निम्नानुसार होगा :

धारा 40(b) के तहत फर्म के बुक प्रॉफिट की गणना

[Computing of Book Profit of the firm Under Section 40 (6)]

विवरण	₹	₹
शुद्ध लाभ (अवमूल्यन, वेतन और ब्याज की कटौती के पहले)		7,00,000
घटाओ : धारा 32 के तहत मूल्यहास	1,50,000	
ब्याज @ 12% प्रतिवर्ष [धारा 40 (b)] के अनुसार अधिकतम स्वीकार्य है ₹ 5,00,000 × 12%	60,000	2,10,000
बुक प्रॉफिट		4,90,000

(ii) वेतन वास्तव में काम करने वाले भागीदारों को दिया गया है = ₹ 20,000 × 2 × 12 = ₹ 4,80,000

धारा 40 (b)(v) के प्रावधानों के अनुसार, काम कर रहे भागीदारों को वेतन का भुगतान निम्नलिखित सीमाओं के अधीन अनुमति है—

पहले ₹ 3,00,000 किताब लाभ या हानि के मामले में	₹ 1,50,000 या 90% पुस्तक लाभ, जो भी अधिक है
पुस्तक के लाभ की शेष पर	शेष पुस्तक लाभ का 60%

इसलिए, इस मामले में A.Y.2020-21 के लिए अधिकतम स्वीकार्य कार्य साझेदार का वेतन होगा :

विवरण	₹
पुस्तक के पहले 3,00,000 मुनाफे पर (₹ 150,000 या ₹ 3,00,000 का 90%)	
जो भी अधिक है]	2,70,000
पुस्तक के लाभ की शेष राशि पर (₹ 4,90,000 – ₹ 3,00,000) का 60%	1,14,000
भागीदारों का अधिकतम स्वीकार्य वेतन	3,84,000

इसलिए, A.Y.2020-21 के लिए स्वीकार्य काम करने वाले भागीदारों का वेतन धारा 40(b)(v) के प्रावधानों के अनुसार 3,84,000 है

एओपी/बीओआई [धारा 40 (बीए)] से आय की गणना करने में व्यक्तियों या व्यक्तियों की संस्था के मामले में, निम्नलिखित मात्रा में कटौती नहीं की जाएगी। [In the case of Association of Persons or body of individual following amounts shall not be deducted in computing the income from AOP/BOI {Section 40(ba)}]

व्यक्तियों या किसी व्यक्ति की संस्था द्वारा अपने सदस्यों को किसी संस्था द्वारा बनाई गई ब्याज, वेतन, कमीशन, बोनस या पारिश्रमिक का कोई भी भुगतान संघ या बॉडी की आय की गणना करने में कटौती के रूप में नहीं किया जाएगा।

धारा 40(ba) के तीन स्पष्टीकरण हैं :

स्पष्टीकरण (Explanation) 1 : जहां किसी एसोपी या बीओआई द्वारा एओपी/बीओआई को ब्याज का भुगतान किया गया है, जहाँ ब्याज का भुगतान किया जाता है, खण्ड (बीए) के तहत अस्वीकृत होने वाले ब्याज की रकम एओपी/बीओआई तक सीमित होगी।

स्पष्टीकरण (Explanation) 2 : जहाँ कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से एओपी/बीओआई में एक सदस्य है, एओपी/बीओआई द्वारा अदा किए गए ब्याज को खण्ड (बीए) के प्रयोजनों के लिए नहीं लिया जाएगा। लेकिन, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिनिधि क्षमता में भुगतान या प्राप्त ब्याज को ध्यान में रखा जाएगा।

स्पष्टीकरण (Explanation) 3 : जहाँ एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत क्षमता में एक सदस्य है, उसकी प्रतिनिधि क्षमता में ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

3.8 कुछ परिस्थितियों में खर्च या भुगतान में छूट नहीं (धारा 40A) [Expenses of payments not deductible in certain circumstances (Section 40A)]

(i) रिश्तेदारों और सहयोगियों को भुगतान (Payment to relatives and associates)

धारा 40A के उप-धारा (2) में यह प्रावधान है कि जहाँ निर्धारित किसी भी व्यय के सम्बन्ध में किसी व्यय का भुगतान करता है या किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को दिया जाना है [नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) देखें] जितना खर्च को अत्यधिक या अनुचित माना जाता है, उसे आकलन अधिकारी द्वारा अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा करने के दौरान उसे इसके सम्बन्ध में उचित ध्यान देना होगा :

- वस्तु का उचित बाजार मूल्य, सुविधाओं जिसके लिए भुगतान किया जाता है, या
- निर्धारित द्वारा किए गए व्यवसाय या व्यवसाय की वैध आवश्यकताओं, या
- ऐसे भुगतान से निर्धारिती को प्राप्त या प्राप्त होने वाला लाभ।

निर्धारित	निर्दिष्ट व्यक्ति
(1)	(2)
व्यक्ति	<ol style="list-style-type: none"> व्यक्तिगत निर्धारिती के कोई भी रिश्तेदार कोई भी व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशे में रहता है, यदि उस व्यक्ति के व्यवसाय में एक महत्वपूर्ण रुचि है या व्यक्ति के किसी रिश्तेदार को उस व्यक्ति के व्यवसाय में पर्याप्त रुचि है।
कम्पनी, फर्म, HUF या AOP	<ol style="list-style-type: none"> किसी भी निर्देशक, फर्म के सदस्य या परिवार या संघ के सदस्य या ऐसे निदेशक, साथी या सदस्य के कोई भी रिश्तेदार या कम्पनी, कर निर्धारिती की स्थिति में, वह व्यक्ति जिसका कम्पनी के व्यापार या पेशे में वास्तविक प्रभाव हो या उस व्यक्ति का संबंधी या कोई भी व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशे में रहता है, जिसमें कम्पनी/फर्म/एचयूएफ/एओपी या कम्पनी के निदेशक, फर्म या परिवार के सदस्य या संघ या ऐसे किसी भी रिश्तेदार, साथी या सदस्य के साथी पर्याप्त रुचि है।

सभी निर्धारित	The following are specified persons :	
	व्यक्ति जो निर्धारिती की व्यवसाय में पर्याप्त रुचि रखते हैं	ऐसे व्यक्ति के अन्य सम्बन्धित व्यक्ति, जिन्हें निर्धारिती के व्यवसाय में पर्याप्त रुचि है
	कम्पनी/AOP/ फर्म/HUF	<ul style="list-style-type: none"> ऐसी कम्पनी के किसी भी निदेशक, ऐसी फर्म के साथी या ऐसे परिवार या संघ के सदस्य या ऐसे निदेशक, साथी या सदस्य के किसी भी रिश्तेदार या किसी अन्य कम्पनी को व्यवसाय या पेशे में ले जाने के लिए जिसमें पहले उल्लेख किया गया कम्पनी का पर्याप्त रुचि है।
	एक निर्देशक, साथी या सदस्य	<ul style="list-style-type: none"> कम्पनी/फर्म/एओपी/एचयूएफ जिसमें वह एक निदेशक, साथी या सदस्य हैं या ऐसे कम्पनी/फर्म/AOP/HUF या अन्य किसी भी डायरेक्टर/ पार्टनर/सदस्य या ऐसे निदेशक, साथी या सदस्य के किसी भी रिश्तेदार
<p>किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में रिश्तेदार का अर्थ है पति/पत्नी, भाई या बहन या उस व्यक्ति के कोई भी वंशज या वंशधर [धारा 2(41)]।</p>		
<p>किसी व्यवसाय या पेशे में पर्याप्त रुचि (Substantial interest at in a business or profession)</p> <p>किसी व्यक्ति को व्यवसाय या पेशे में पर्याप्त रुचि होने पर समझा जाएगा यदि</p> <ul style="list-style-type: none"> ऐसे मामले में जहाँ किसी कम्पनी द्वारा व्यवसाय या व्यवसाय किया जाता है, ऐसे व्यक्ति, पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय, इक्विटी शेयरों के फायदेमंद मालिक हैं जो मतदान शक्ति का 20% से कम नहीं है और किसी अन्य मामले में ऐसे व्यक्ति, पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय, ऐसे व्यवसाय या पेशे के मुनाफे के कम-से-कम 20% से अधिक लाभकारी हकदार है। 		

(ii) ₹ 10,000 से अधिक नकद भुगतान (Payments in excess of ₹ 10,000 made otherwise than through prescribed modes)

धारा 40A(3) के अनुसार, जहाँ निर्धारित किसी भी व्यय को उठाता है, जिसमें किसी एक दिन में किसी भुगतान किए गए भुगतान किया किसी एक व्यक्ति को भुगतान का भुगतान अन्यथा बैंक पर या किसी खाता भुगतानकर्ता बैंक ड्राफ्ट द्वारा या किसी खाते में भुगतानकर्ता चेक बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या किसी अन्य निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग ₹ 10,000 से अधिक है, ऐसे व्यय को कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।

यह प्रावधान वस्तु या सेवाओं के लिए भुगतान के सभी व्यय के लिए लागू होता है, जो कर योग्य आय की गणना में घटाए जाते हैं।

उदाहरण (Example)

यदि, एक्स लिमिटेड द्वारा किए गए ₹ 32,000 के व्यय के सम्बन्ध में, ₹ 8,000 के 4 नकद भुगतान एक विशेष दिन पर एक श्री वाई—एक सुबह 10 बजे, एक दोपहर 12 बजे, एक 3 बजे। और एक 6 बजे, पूरे ₹32,000 का पूरा खर्च धारा 40 ए (3) के तहत अस्वीकार कर दिया जाएगा, क्योंकि एक दिन के दौरान श्री वाई के ₹10,000 अतिरिक्त नकद भुगतान किए गए हैं।

अगले वर्ष की आय के रूप में समझे जाने वाले ₹10,000 से अधिक नकद भुगतान यदि किसी व्यय को किसी भी पिछले वर्ष के आधार पर कटौती के रूप में अनुमति दी गई है (Payment made in excess of ₹ 10,000 made otherwise than through prescribed modes deemed to be the income of the subsequent year, if expenditure has been allowed as deduction in any previous year on due basis) :

लेखाकार की मर्केटाइल सिस्टम के बाद निर्धारित के मामले, में यदि किसी भी पिछले वर्ष किसी व्यय के आधार पर कटौती के रूप में अनुमति दी गई हो, और भुगतान अगले साल में किया गया है अन्यथा खाता भुगतानकर्ता चेक या खाता भुगतानकर्ता बैंक ड्राफ्ट या किसी अन्य निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग एक बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली, तो इस प्रकार के भुगतान को अगले वर्ष की आय माना जाएगा अगर एक दिन में किसी व्यक्ति प्रणाली, तो इस प्रकार के भुगतान को अगले वर्ष की आय माना जाएगा अगर एक दिन में किसी व्यक्ति को भुगतान किए गए भुगतान या कुल भुगतान 10,000 से अधिक होता है [धारा 40A(3A)]

नकद भुगतान की सीमा में वृद्धि, जहाँ परिवहन ऑपरेटर के लिए भुगतान किया गया था (Increase in limit of case payment where payment made to transport operator) : परिवहन ऑपरेटरों को चलाना, भर्ती या पट्टे पर देने के वस्तु के भुगतान के मामले में ₹10,000 की सीमा को बढ़ाकर ₹35,000 कर दिया गया है। इसलिए, एक दिन में ₹35,000 तक का भुगतान या कुल भुगतान एक परिवहन ऑपरेटर को किया जा सकता है अन्यथा अकाउन्ट पे—चेक या अकाउन्ट पेयी बैंक ड्राफ्ट या बैंकिंग अकाउन्ट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या किसी अन्य निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करके। अन्य सभी मामलों या बैंकिंग अकाउन्ट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम का उपयोग करके। अन्य सभी मामलों में, सीमा ₹ 10,000 के रूप में जारी रहेगी।

जिन मामलों में अस्वीकृति आकर्षित नहीं होगी (Cases where disallowances would not be attracted) :

(i) ऋण लेन-देन (Loan transaction) : यह ऋण लेन-देन पर लागू नहीं होता क्योंकि ऋण की अग्रिम या ऋण की मूल राशि की पुनर्भुगतान कर योग्य आय की गणना में कटौती के एक खर्च का गठन नहीं करता है। हालांकि, एक समय में ₹ 10,000 से अधिक राशि का ब्याज भुगतान भुगतानकर्ता खाता चेक या ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या किसी अन्य निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि ब्याज एक घटाने योग्य व्यय है।

(ii) कमीशन एजेंटों द्वारा किया गया भुगतान (Payment made by commission agents) : यह आवश्यकता कमीशन एजेंट द्वारा दिए वस्तु के लिए कमीशन या कंसाइनमेंट आधार पर बिक्री के लिए किए गए भुगतान के लिए लागू नहीं होती है क्योंकि ऐसा भुगतान कमीशन एजेंट की कर योग्य आय की गणना में कटौती योग्य नहीं है।

उसी कारण से, यह आवश्यकता वस्तु की आपूर्ति से सम्बन्धित पार्टी को कमीशन एजेंट द्वारा किए गए अग्रिम भुगतान पर लागू नहीं होती है।

हालांकि, जहाँ कमीशन एजेंट अपने खाते पर वस्तु खरीदता है लेकिन कमीशन आधार पर नहीं है, आवश्यकता लागू होगी। भुगतानकर्ता खाता चेक या ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या किसी अन्य निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा भुगतान के बारे में प्रावधान क्रेडिट पर खरीदे गए सामानों के लिए किए गए भुगतान के सामान्य रूप से लागू होते हैं।

ऐसे मामले और परिस्थितियाँ जिनमें भुगतान करने या कुल भुगतान करने की दस हजार रुपए की राशि एक व्यक्ति को एक दिन में दी जा सकती है। अन्यथा एक खाता दाता चेक। खाता दाता बैंक ड्राफ्ट ईसीएस का उपयोग बैंक खाते के माध्यम से या ऐसे अन्य निर्धारित मोड के माध्यम से कर सकता है। (नियम 6DD) :

इस नियम के अनुसार, धारा 40A के उप-धारा (3) के तहत कोई भी अस्वीकार नहीं किया जाएगा और कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, या धारा 40A के उप-धारा (3A) के तहत व्यापार या पेशे के लाभ और लाभ को रूप में माना जाएगा। एक दिन में किसी व्यक्ति को किए गए भुगतान का भुगतान, अन्यथा बैंक या खाता भुगतानकर्ता बैंक ड्राफ्ट पर आहरित खाता भुगतानकर्ता चेक या बैंक खाता के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या किसी अन्य निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करने के मामले में, दस हजार रुपये से अधिक मामले और परिस्थितियों में निर्दिष्ट है, अर्थात् :

- (a) जहाँ इनको भुगतान किया जाता है
- (i) भारतीय रिजर्व बैंक या कोई बैंकिंग कम्पनी,
 - (ii) भारतीय स्टेट बैंक या किसी सहायक बैंक,
 - (iii) किसी भी सहकारी बैंक या भूमि बन्धक बैंक,
 - (iv) किसी भी सहकारी बैंक या भूमि बन्धक बैंक,
 - (v) भारतीय जीवन बीमा निगम,

- (b) जहाँ सरकार को भुगतान किया जाता है और, इसके द्वारा बनाए गए नियमों के तहत, इस तरह के भुगतान कानूनी निविदा में किए जाने की आवश्यकता है,
- (c) जहाँ भुगतान इनके द्वारा किया जाता है
- किसी बैंक के माध्यम से क्रेडिट व्यवस्था के कोई भी पत्र,
 - किसी बैंक के माध्यम से एक मेल या टेलीग्राफिक स्थानांतरण,
 - बैंक में किसी भी खाते से या किसी अन्य बैंक में किसी अन्य खाते में एक पुस्तक समायोजन,
 - एक्सचेंज का बिल केवल एक बैंक को देय होगा,
 - एक क्रेडिट कार्ड,
 - एक डेबिट कार्ड,
- (d) ऐसे भुगतानकर्ता को निर्धारित द्वारा प्रदान किए गए किसी भी वस्तु या सेवाओं के लिए भुगतानकर्ता द्वारा किए गए किसी भी दायित्व की राशि के हिसाब से भुगतान किया जाता है,
- (e) जहाँ भुगतान की खरीद के लिए किया जाता है—
- कृषि या वन उपज,या
 - पशुपालन का उत्पादन (पशुधन, माँस, खाल और खाल सहित) या डेयरी या पोल्ट्री खेती, या
 - मछली या मछली उत्पादों,या
 - बागवानी या मधुमक्खी पालन के उत्पाद,
- खेती करने वाले, उत्पादक या उत्पाद के उत्पादक या उत्पाद के लिए,

नोट (Notes)

- उपर्युक्त 'मछली या मत्स्य उत्पादों (iii) की अभिव्यक्ति में अन्य समुद्री उत्पादों जैसे कि चिराट, झींगा, कटलफिश, स्क्वीड, केकड़ा, लॉबस्टर आदि, शामिल होंगे।
 - नियम 6DD (e) के उद्देश्य के लिए मछली या मछली उत्पादों के 'उत्पादक' में मछुआरों के अलावा, मछुआरों के किसी भी मुखिया शामिल होंगे, जो समुद्र तट से मछुआरों द्वारा लाए गए मछली पकड़ने वाली मछलियों को पकड़ने वाले हैं खुद को और तब मछली या मछली के उत्पादकों को व्यापारियों/निर्यातकों को बेचता है।
हालांकि, उपर्युक्त अपवाद किसी ऐसे व्यक्ति से मछली या मछली उत्पादों की खरीद के लिए भुगतान पर उपलब्ध नहीं होगा जो इन वस्तुओं के 'निर्माता' साबित नहीं हुआ है और केवल एक व्यापारिक, दलाल या किसी अन्य मध्यस्थ, जिस भी नाम से बुलाया हो।
- (f) जहाँ उत्पाद निर्मित या संसाधित किए गए उत्पादों की खरीद के लिए किया जाता है, जो कि कुटीर उद्योग में बिजली की सहायता के बिना, ऐसे उत्पादों के निर्माता के लिए,

- (g) जहाँ किसी गाँव या शहर में भुगतान किया जाता है, इस तरह के भुगतान की तिथि से किसी भी बैंक द्वारा किसी भी व्यक्ति को सामान्य रूप से रहता है, या किसी भी व्यवसाय, पेशे या व्यवसाय को लेकर किसी ऐसे गाँव या शहर में सेवा नहीं मिलती है;
- (h) जहाँ किसी भी भुगतान को निर्धारित के कर्मचारी या किसी ऐसे कर्मचारी के उत्तराधिकारी, सेवानिवृत्ति, छंटनी, इस्तीफा, छुट्टी या ऐसे कर्मचारी की मृत्यु के सम्बन्ध में, ग्रैच्युइटी छंटनी मुआवजे या समान टर्मिनल बेनिफिट और कर्मचारी या उसके उत्तराधिकारी को देय ऐसे रकम का कुल मिलाकर पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है,
- (i) जहाँ निर्धारित अधिनियम द्वारा धारा 192 के प्रावधानों के अनुसार वेतन से आयकर को घटाकर अपने कर्मचारी को वेतन के माध्यम से किया जाता है, और जब ऐसे कर्मचारी,
- (i) अस्थायी तौर पर अपने सामान्य स्थान या जहाज पर एक जगह में पन्द्रह दिन या उससे अधिक की निरंतर अवधि के लिए पोस्ट किया जाता है, तथा
- (ii) ऐसी जगह या जहाज पर किसी भी बैंक में कोई खाता नहीं रखता है,
- (j) जहाँ एक दिन पर भुगतान करना आवश्यक था, जिस पर बैंक छुट्टी या हड़ताल के कारण बन्द हो गए थे।
- (k) जहाँ भुगतान किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने एजेंट के लिए किया जाता है, जिसे ऐसे व्यक्ति की ओर से वस्तु या सेवाओं के लिए नकद भुगतान करना आवश्यक है,
- (l) जहाँ एक अधिकृत डीलर द्वारा भुगतान किया जाता है या विदेशी मुद्रा की खरीद के खिलाफ एक मनी परिवर्तक या अपने व्यापार के सामान्य क्रम में यात्रियों की जाँच करता है।

नोट : जहाँ किसी भी व्यय के संबंध में किसी भी भुगतान को अकाउंट पेयी चेक। अकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करना आवश्यक है या इस तरह के अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कि धारा 40A(3) के तहत कटौती के रूप में इस तरह के खर्च को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है तो ऐसे चेक या ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या ऐसे अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है।

किसी भी व्यक्ति को किसी मुकदमे या अन्य कार्यवाही में उठाने की अनुमति नहीं है। इस आधार पर कि भुगतान नकद या किसी अन्य तरीके से नहीं किया गया।

यह किसी भी अन्य कानून में लागू होने और किसी भी अनुबंध में होने के बावजूद कुछ भी नहीं है।

(iii) ग्रैच्युइटी के लिए प्रावधान की अस्वीकृति (Disallowance of provision of gratuity)

धारा 40A(7) यह बताता है कि किसी भी करदाता को किसी भी प्रावधान (जो कि प्रावधान के रूप में कहा जाता है या किसी अन्य नाम से) के सम्बन्ध में किसी भी व्यवसाय या पेशे को ले जाने वाले किसी भी करदाता को उनके नियोक्ताओं के लिए ग्रैच्युइटी के भुगतान पर उनके द्वारा किए जाने वाले किसी भी करदाता को अनुमति नहीं होगी सेवानिवृत्ति या किसी भी कारण से अपने रोजगार की समाप्ति पर। इस अस्वीकृति का कारण यह है कि, धारा 36 (1) (V) के तहत,

करदाता द्वारा किसी नियोक्ता के रूप में उसकी क्षमता में किसी भी राशि के भुगतान के सम्बन्ध में व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ की गणना करने में कटौती स्वीकार्य है एक अनुमोदित ग्रैच्युइटी फण्ड के लिए उसके द्वारा किए गए अंशदानों के लिए एक अविश्वसनीय ट्रस्ट के तहत अपने कर्मचारियों के अनन्य लाभ के लिए बनाया गया इसे अतिरिक्त, धारा 37 (1) में यह प्रावधान है कि धारा 30 से 36 में वर्णित प्रकृति के व्यय के अलावा किसी भी व्यय को व्यवसायिक या पेशे के उद्देश्य के लिए पूरी तरह से और खास तौर पर कर योग्य रूप से गणना करने में कटौती के रूप में अनुमति दी जानी चाहिए व्यवसाय से आय इन दो प्रावधानों का एक पठन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि विधायिका का इरादा हमेशा रहा है कि ग्रैच्युइटी के सम्बन्ध में कटौती नियोक्ता को उस वर्ष में स्वीकार्य है, जिसमें उस वर्ष में ग्रैच्युइटी वास्तव में भुगतान की जाती है या उस वर्ष में जिसमें अनुमोदित ग्रैच्युइटी फण्ड वास्तव में नियोक्ता द्वारा किया जाता है

इसलिए प्रावधान, यह स्पष्ट करता है कि ग्रैच्युइटी के प्रावधान के लिए निर्धारिती द्वारा दावा किया गया कोई भी राशि नियोक्ता के मूल्यांकन में अस्वीकार किया जाएगा, भले ही निर्धारक लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली का पालन करे।

हालांकि, धारा 40 ए के उप-धारा (7) के प्रावधान के तहत कोई भी अनुमति नहीं दी जाएगी, जहाँ पहले किसी अनुमोदित ग्रैच्युइटी फण्ड में योगदान के माध्यम से राशि का भुगतान करने के उद्देश्य से नियोक्ता द्वारा कोई प्रावधान किया गया है। वर्ष या किसी भी उपदान का भुगतान करने के उद्देश्य से जो कर्मचारी की सेवानिवृत्ति, मृत्यु, सेवा की समाप्ति आदि के आधार पर पिछले वर्ष के दौरान देय हो गया है।

इसके अतिरिक्त, जहां उपदान का प्रबंध किसी कारणवश का निर्धारिती को कटौती के रूप में मिला हो किसी भी निर्धारण वर्ष में तब कथित प्रबंध में से मान्य उपदान निधि या कर्मचारी को उपदान के रूप में RG दी गई राशि की कटौती उस वर्ष में नहीं दी जाएगी जिस वर्ष में उसका भुगतान हुआ हो।

(iv) निधि ट्रस्ट आदि के लिए नियोक्ता द्वारा योगदान [धारा 40A(9)] [Contributions by employers to funds, trust etc. {Sections 40A(9) }]

कर्मचारियों के कल्याण के लिए जाहिर तौर पर किए गए योगदान के कारोबार के कर योग्य मुनाफे से कटौती का दावा करने के लिए नियोक्ताओं के बीच बढ़ते अभ्यास को रोकने के लिए इन उप-वर्गों को पेश किया गया है, हालांकि, कर्मचारियों को कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलता है।

तदनुसार, निर्धारिती किसी नियोक्ता के रूप में अपनी क्षमता में भुगतान करता है जहाँ कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी, सोसाइटी के तहत पंजीकृत किसी भी फण्ड, ट्रस्ट, कम्पनी, व्यक्तियों के संगठन, व्यक्तियों के निकाय, को स्थापित करने या बनाने या उसके योगदान के लिए कोई भी राशि पंजीकरण अधिनियम, 1860 या किसी भी उद्देश्य के लिए अन्य संस्था।

हालांकि, जहाँ इस तरह की राशि धारा 36 (1) (iv), 36 (1) (iva) और (1) (v) या किसी अन्य कानून द्वारा कवर किए गए धन के सम्बन्ध में भुगतान किया जाता है, तो कटौती से इंकार नहीं किया जाएगा।

3.9. कर के लिए प्रभार्य मुनाफे (धारा 41) [Profits chargeable to tax (Sections 41)]

यह खण्ड कुछ रसीदों को दर्शाता है, जो "व्यवसाय या पेशे" के अन्तर्गत आय के रूप में माना जाता है। ऐसी प्राप्तियाँ प्रभार को आकर्षित करती हैं, भले ही वे जिस उदय से उत्पन्न हो वह उस वर्ष से पहले मौजूद रहना बन्द हो गया हो, जिसमें इस खण्ड के दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी प्राप्तियों के विवरण नीचे दिए गए हैं :

(i) ट्रेडिंग देयता की छूट या समाप्ति [धारा 41(1)] [Remission or cessation of trading liability {Section 41(1)}]

मान लीजिए कि A द्वारा किए गए नुकसान, व्यय या व्यापार की देयता के सम्बन्ध में किसी निर्धारण वर्ष में एक भत्ता या कटौती की गई है। इसके बाद, अगर ए ने नकद या किसी भी तरह से, ऐसी हानि या व्यय के सम्बन्ध में कोई भी राशि प्राप्त की है छूट या समाप्ति के माध्यम से इस तरह की व्यापारिक देयता के सम्बन्ध में कुछ लाभ का, A द्वारा प्राप्त राशि या उसके पास लाभ के मूल्य उस पिछले वर्ष की आय के रूप में लगाया जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस व्यवसाय या पेशे के सम्बन्ध में जो भत्ता या कटौती की गई है उस वर्ष में अस्तित्व में है या नहीं।

यह सम्भव है कि नुकसान, व्यय, या व्यापारिक देयता के सम्बन्ध में उपर्युक्त भत्ते के बाद ए को दिया गया हो, वह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के सफल हो सकते। ऐसे मामले में, उत्तराधिकारी पिछले एक वर्ष के दौरान उनके द्वारा प्राप्त किए गए किसी भी ऐसे लाभ के सम्बन्ध में कर लगाए जाने के लिए उत्तरादायी होगा।

व्यवसाय में उत्तराधिकारी (Successor in business) :

- (i) जहाँ किसी अन्य कम्पनी के साथ का एकीकरण हुआ है, उत्तराधिकारी एकत्रीकृत कम्पनी होगी।
- (ii) जहाँ किसी व्यवसाय या पेशे को ले जाने वाली फर्म किसी अन्य फर्म द्वारा हो जाती है, उत्तराधिकारी दूसरी कम्पनी होगी।
- (iii) किसी भी अन्य मामले में, जहाँ एक व्यक्ति को उस व्यवसाय या पेशे में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सफल किया जाता है, दूसरा व्यक्ति उत्तराधिकारी होगा।
- (iv) डिमर्जर के मामले में, उत्तराधिकारी परिणामस्वरूप कम्पनी होगी।

किसी व्यापारिक दायित्व की छूट या समाप्ति में उनके खातों में ऐसी देयता को लिखने के माध्यम से निर्धारिती के एकतरफा अधिनियम द्वारा देयता की छूट या समाप्ति शामिल है।

(ii) सन्तुलन प्रभार, वैज्ञानिक, अनुसंधान के लिए उपयोग की जाने वाली पूँजी परिसम्पत्ति की बिक्री, बाद में खराब कर्ज की वसूली आदि [धारा 41 (2), (3) और (4)] [Balancing charge, Sale of capital asset used for scientific research, Recovery of a bad debt subsequently etc. {Section 41(2),(3) & (4)}]

वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अधिगृहीत सम्पत्तियों और धारा 41 (4) से जुड़ी सम्पत्तियों से सम्बन्धित धारा 41 (3) के सन्तुलन प्रभार से सम्बन्धित धारा 41 (2) के प्रावधानों को सम्बन्धित वस्तुओं के तहत पहले से निपटाया गया है।

(iii) निहित व्यवसाय के आगे लाया नुकसान [धारा 41(5)] [Brought forward losses of defunct business {Section 41(5)}]

उन मामलों में जहाँ एक रसीद एक व्यवसाय से सम्बन्धित धारा 41 के तहत किसी व्यवसाय का लाभ होने के लिए समझा जाता है, जो कि एक व्यापार से सम्बन्धित है, जो अस्तित्व समाप्त हो गया था और एक अनबॉस्टड नुकसान हुआ है, जो कि पिछले वर्ष के दौरान उस व्यवसाय में पैदा हुआ था जिसमें यह अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ था इस खण्ड के तहत प्रभार्य होने वाली आय के खिलाफ निर्धारित किया जाएगा।

इस उप-धारा में इस नियम के एक अपवाद का गठन किया गया है कि यदि कोई व्यवसाय अस्तित्व समाप्त हो गया है, तो उसके साथ कोई नुकसान आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है और किसी भी स्रोत से किसी भी आय के खिलाफ बन्द कर सकता है।

3.10 मुद्रा के आदान-प्रदान की दर में परिवर्तन (धारा 43A) [Changes in the Rate of Exchange of Currency (Section 43A)]

(1) यह अनुभाग प्रदान करता है कि जहां एक निर्धारिती ने अपने व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य के लिए किसी विदेशी देश से कोई परिसंपत्ति अर्जित की है, और उसके बाद में दो मुद्राओं की विनिमय दर में बदलाव के कारण इसमें वृद्धि या कमी आई है भुगतान करने के समय निर्धारिती के देयता (भारतीय रुपयों में व्यक्त), निम्न दायित्वों में वृद्धि या कमी के सम्बन्ध में निम्नलिखित मूल्यों को बदला जा सकता है :

- (i) धारा 43(1) के तहत परिसम्पत्ति की वास्तविक लागत
- (ii) धारा 35(1)(iv) के तहत वैज्ञानिक शोध पर किए गए पूंजीगत व्यय की राशि
- (iii) धारा 36(1)(ix) के तहत अपने कर्मचारियों के बीच परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए एक कम्पनी द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय की राशि
- (iv) धारा 48 के तहत गिरने वाले गैर-मूल्यवान पूंजी परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत।

उपर्युक्त समायोजन करने के बाद आने वाली राशि पूंजीगत व्यय की राशि या पूंजीगत संपत्ति के अधिग्रहण की लागत के रूप में ली जाएगी, जैसा कि मामला हो।

- (2) जहां उपर्युक्त उत्तरदायित्व का संपूर्ण या कोई भी हिस्सा निर्धारिती द्वारा नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूरा किया गया है, इस अनुभाग के उद्देश्यों के लिए मुलाकात की गई दायित्व को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।
- (3) जहां निर्धारिती अधिकृत डीलर के साथ एक अनुबंध में प्रवेश किया है, जैसा कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 2 में परिभाषित किया गया है, उसे विनिमय दर की दर से निर्धारित भविष्य की तारीख के बाद या उसके बाद विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट राशि प्रदान करने के लिए अनुबंध में विनिर्दिष्ट करने के लिए उसे उपर्युक्त उत्तरदायित्व के पूरे या किसी भी भाग को पूरा करने के लिए सक्षम करने के लिए, इस खंड के तहत समायोजन के लिए राशि, यदि उसमें विनिर्दिष्ट एक्सचेंज की दर के संदर्भ में गणना की जाएगी।

3.11 कुछ कटौती केवल वास्तविक भुगतान होने पर [धारा 43B] [Certain Deduction to be made only on Actual Payment (Section 43B)]

धारा 43B में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर वास्तविक रकम के आधार पर निम्नलिखित रकम को कटौती की अनुमति है :

- (a) कर, ड्यूटी, उपकर या शुल्क के माध्यम से देय राशि, जो किसी भी कानून के तहत नामित है, किसी भी कानून के लिये जो उस समय लागू है।
- (b) किसी भी प्रॉविडेंट फण्ड या सेवानिवृत्ति निधि या ग्रैच्युइटी फण्ड कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य फण्ड में योगदान के माध्यम से एक नियोक्ता के रूप में निर्धारिती द्वारा देय कोई भी राशि
- (c) कर्मचारियों के लिए देय सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन।
- (d) निर्धारिती द्वारा किसी भी ऋण पर कोई ब्याज या किसी भी सार्वजनिक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या किसी राज्य औद्योगिक निवेश निगम से उधार के रूप में देय राशि देय।
- (e) इस तरह के ऋण या उधार लेने वाले समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार, किसी भी ऋण पर ब्याज के रूप में देय कोई राशि या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी या व्यवस्थित रूप में महत्वपूर्ण गैर-जमा वित्तीय कंपनी को लेने वाली जमा से उधार लेने पर।
- (f) प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अलावा किसी अनुसूचित बैंक सहकारी बैंक से वास्तविक भुगतान के आधार पर किसी भी ऋण या अग्रिम पर ब्याज।
- (g) निर्धारिती द्वारा अपने कर्मचारी की अर्जित छुट्टी के एवज में नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई कोई भी राशि
- (h) भारतीय रेलवे को रेलवे परिसंपत्तियों के उपयोग के लिए निर्धारिती द्वारा देय कोई भी राशि।

उपर्युक्त रकम का भुगतान उस निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष के सम्बन्ध में धारा 139 (1) के तहत आय की वापसी के लिए निर्धारित तिथि से पहले या उससे पहले किया जा सकता है। जिसमें ऐसी राशि का भुगतान करने की देयता हुई थी और ऐसे भुगतान का प्रमाण पत्र रिटर्न के साथ निर्धारिती द्वारा सुसज्जित।

उपर्युक्त (e) में उल्लिखित किसी राशि के संबंध में मूल्यांकन वर्ष 2019-2020 या पिछले वर्ष के आकलन वर्ष से संबंधित पिछले वर्ष के आधार पर, धारा 28 में संदर्भित आय की गणना में कटौती की अनुमति है। पिछले वर्ष की आय की गणना करने में ऐसा राशि के संबंध में इस धारा के तहत किसी भी कटौती के हकदार नहीं हैं, जिसमें योग वास्तव में उसके द्वारा भुगतान किया जाता है।

देय किसी भी राशि का मतलब उस राशि के लिए होता है जिसके लिए निर्धारिती ने पिछले वर्ष में देयता दे दी थी, भले ही इस तरह की राशि प्रासंगिक कानून के तहत उस वर्ष के भीतर देय न हो।

उदाहरण के लिए, एक निर्धारित मार्च, 2019 के माह के दौरान ग्राहकों से बिक्री कर एकत्र कर सकता है। हालांकि, ऐसे संग्रहों के सम्बन्ध में उन्हें बिक्री कर कानून के तहत केवल 10 अप्रैल, 2019 के भीतर ही देयता का निर्वहन करना पड़ सकता है। स्पष्टीकरण इस प्रकार के दायित्व को भी शामिल करता है। नतीजतन, यदि लेखा के प्रोद्घवन विधि के बाद निर्धारित ने ऐसी देयता के सम्बन्ध में एक प्रावधान बनाया है, जो इस धारा में निर्दिष्ट नियत तारीख के भीतर जब तक प्रेषित नहीं किया जाता है, वही छूट नहीं ली जाती है।

ब्याज का ऋण या उधार लेने या अन्य तरीके से अग्रिम या देय रूप में रूपांतरण (Conversion of interest into a loan or borrowing or advance or payable in other Manner)

स्पष्टीकरण 3C, 3CA और 3D स्पष्ट करता है कि अगर निर्धारित द्वारा किसी भी ऐसे ऋण पर ब्याज के रूप में देय राशि या उधार या उपर्युक्त (d), (e) तथा (f) में उल्लिखित किसी भी राशि को ऋण या उधार या अग्रिम में बदल दिया जाता है, तो ब्याज में बदल जाता है और नहीं "वास्तव में भुगतान" वास्तविक भुगतान के रूप में समझा जाएगा, और इसलिए कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी। स्पष्टीकरण के स्पष्टीकरण केवल तर्क को दोहराते हैं कि ब्याज को ऋण या उधार या अग्रिम में परिवर्तित करना वास्तविक भुगतान की राशि नहीं है।

जिस तरह से परिवर्तित ब्याज की कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी, परिपत्र सं। 7/2006 दिनांक 17.7.2006 में स्पष्ट किया गया है। बकाया ब्याज, जब भी वास्तव में बैंक या वित्तीय संस्थान को भुगतान किया जाता है, आय की गणना में उचित कटौती के राजस्व व्यय की प्रकृति में होगा। इसलिए, नामकरण के बावजूद, कटौती की अनुमति पिछले वर्ष में की जाएगी जिसमें परिवर्तित ब्याज वास्तव में भुगतान किया जाता है।

कुल शर्तों के अर्थ (Meaning of Certain Terms) :

शर्त	अर्थ
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी	(i) एक वित्तीय संस्थान जो एक कंपनी है; (ii) एक गैर-बैंकिंग संस्थान जो एक कंपनी है और जिसके पास प्रमुख व्यवसाय के रूप में जमा राशि प्राप्त करना है, किसी योजना या व्यवस्था के तहत या किसी अन्य तरीके से या किसी भी तरीके से उधार देता; (iii) ऐसे अन्य गैर-बैंकिंग संस्थान या ऐसी संस्था का वर्ग जैसा कि बैंक, केन्द्र सरकार की पिछली मंजूरी और अधिकारिक अधिसूचना में अधिसूचना के साथ निर्दिष्ट कर सकता है।
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को जमा करना	एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो सार्वजनिक जमा को स्वीकार या धारण कर रही है और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधान के तहत RBI के साथ पंजीकृत है।
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा	एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो सार्वजनिक जमा को स्वीकार नहीं कर रही है और अंतिम ऑडिट की गई बैलेंस शीट के अनुसार ₹ 500 करोड़ से कम की कुल संपत्ति नहीं है और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधान के तहत RBI के साथ पंजीकृत है।